डाक पंजीयन क्र./छ.ग./रायपुर संभाग/14/2024-2026

आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या CHHHIN/2002/09534

रोजगार और नियोजन

वर्ष-23, अंक-10, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित

24 सितंबर 2025 बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, निःशुल्क

रायपुर से राजिम तक नई ट्रेन सेवा शुरू, नवा रायपुर कनेक्टिविटी को मिली रफ्तार

राजधानी रायपुर से नवा रायपुर होते हुए राजिम तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नई मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन प्रतिदिन दो फेरे लगाएगी। नया रेल सेवा मार्ग रायपुर से मंदिर हसौद, सीबीडी, केंद्री, अभनपुर, मानिकचौरी होते हुए राजिम तक रहेगा। इससे रायपुर-नवा रायपुर के बीच प्रतिदिन सफर करने वाले हजारों लोगों को सुविधा मिलेगी।

68766 रायपुर-राजिम मेमू पैसेंजर			68767 राजिम-रायपुर मेमू पैसेंजर	
आगमन	प्रस्थान	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान
....	04.45	रायपुर	08.20	....
05.03	05.05	मंदिर हसौद	07.52	07.55
05.15	05.16	सीबीडी नवा रायपुर	07.41	07.42
05.30	05.32	केंद्री	07.26	07.28
05.43	05.45	अभनपुर	07.13	07.15
05.56	05.57	मानिक चौरी हॉल्ट	06.59	07.00
06.20	....	राजिम	....	06.45

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में श्रमिकों को आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं से मिला सशक्तिकरण

छत्तीसगढ़ के श्रमवीरों के जीवन में उजाला 1.84 लाख खातों में पहुँचे 65 करोड़ रुपये

विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में श्रमिक महासम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर 1.84 लाख श्रमिकों के खातों में 65.16 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से अंतरित कर श्रमिकों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने कहा कि श्रमवीर समाज की रीढ़ हैं और उनके योगदान से ही विकसित छत्तीसगढ़ तथा विकसित भारत का सपना साकार होगा।

श्रमिकों के हित में घोषणाएँ

- दीदी ई-रिक्शा योजना की सहायता राशि अब 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये।
- श्रमिकों को आवास निर्माण हेतु अनुदान राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये।
- निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और उपचार का पूरा खर्च अब श्रम विभाग द्वारा वहन।

पंजीयन और लाभ वितरण

- 01 जनवरी 2024 से 15 सितम्बर 2025 तक 7.3 लाख श्रमिकों का पंजीयन।
- इसी अवधि में 8.39 लाख श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ।
- अब तक योजनाओं पर 535.62 करोड़ रुपये का व्यय।

समग्र विकास की पहल

- असंगठित श्रमिकों और परिवारों के लिए 'अम्ब्रेला योजना' की शुरुआत।
- कैशलेस इलाज हेतु 106 निजी अस्पतालों से अनुबंध।
- योजनाओं का लाभ एक ही प्लेटफॉर्म पर देने के लिए 'श्रमेव जयते पोर्टल' की शुरुआत।

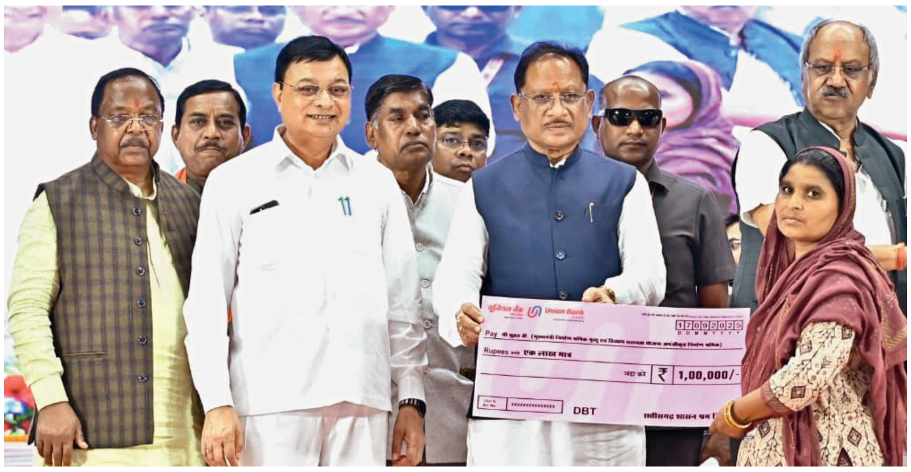

योजनाओं की उपलब्धियाँ

- आवास सहायता योजना : 1,042 श्रमिकों को 1-1 लाख रुपये की अनुदान सहायता।
- नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना : 7,478 श्रमिक बच्चों को 10.14 करोड़ रुपये की राशि।
- मिनीमाता महतारी जतन योजना : 65,010 महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता।
- श्रम अन्न योजना : 17 जिलों के 37 केन्द्रों पर 11.35 लाख से अधिक पौष्टिक भोजन।
- मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना : 3,658 आश्रित परिवारों को लाभ।
- मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र : पंजीयन व समस्या समाधान हेतु जिले और ब्लॉक स्तर पर सुविधा।

स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार

नारी सशक्तिकरण की ओर कदम

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश के धार से 'स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार' अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी रायपुर से हजारों महिलाओं के साथ वर्चुअली जुड़े। 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक देशभर में एक लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविरों में टीबी, एनीमिया और कैंसर जैसी बीमारियों की जांच व दवाएं निःशुल्क उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह अभियान मातृशक्ति के स्वास्थ्य संरक्षण का ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने पोषण कैलेंडर का विमोचन किया और मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया।

दूरदर्शन स्थापना दिवस

मनोरंजन से वैचारिक समृद्धि तक भूमिका

रायपुर स्थित दूरदर्शन केंद्र में 66वें स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने दूरदर्शन की ऐतिहासिक यात्रा और अपनी यादें साझा कीं। दूरदर्शन ने केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि समाज को वैचारिक रूप से समृद्ध और संस्कारित करने में अहम भूमिका निभाई है। 1982 एशियाई खेलों का रंगीन प्रसारण, रामायण-महाभारत जैसे धारावाहिक और "मिले सुर मेरा तुम्हारा" गीत ने देश की एकता को सशक्त किया। समाचारों की गरिमा और भाषा की शुद्धता दूरदर्शन की विशेष पहचान है।

एक भूमि, सबको लाभ

पीएम किसान सम्मान निधि

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक ही भूमि खाते में कई परिवारों के नाम दर्ज होने पर भी प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता अलग-अलग मिलेगी। योजना में 'किसान परिवार' का अर्थ पति-पत्नी और अवयस्क बच्चों से है। यह लाभ खाता संख्या से नहीं, बल्कि परिवार इकाई के आधार पर दिया जाएगा। फरवरी 2025 में छत्तीसगढ़ के 25.47 लाख किसानों को 20वीं किश्त के रूप में 553 करोड़ 34 लाख रुपये वितरित किए गए। योजना का लाभ केवल पात्र किसानों को ही मिलता है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई उड़ान

14-14 करोड़ रुपए की लागत से फिजियोथेरेपी महाविद्यालय, युवाओं और मरीजों को मिलेगा लाभ

राज्य में बनेंगे 6 नए फिजियोथेरेपी महाविद्यालय

छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने मनेंद्रगढ़, जशपुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग और जगदलपुर में 6 नए फिजियोथेरेपी महाविद्यालय खोलने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इनका निर्माण करीब 14-14 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। परियोजना पर कुल 83 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च होंगे।

गांव-गांव तक राहत :

- ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों के मरीजों को बड़ी राहत।
- राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मिलेगी मजबूती।

रोजगार के अवसर :

- निर्माण से लेकर संचालन तक स्थानीय लोगों को रोजगार।
- स्नातक विद्यार्थी स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं देंगे।

होम-स्टे योजना

जशपुर के पाँच ग्रामों में शुरुआत

जशपुर जिले के पाँच ग्राम देओबोरा, केरे, दनगरी, छिछली और घोघरा में होम-स्टे योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया। उन्होंने कहा कि यह पहल पर्यटन को नई पहचान देने के साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करेगी। होम-स्टे के माध्यम से पर्यटक गाँवों में रहकर आदिवासी संस्कृति, परंपरा, खान-पान और जीवनशैली का अनुभव कर सकेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण प्राप्त पर्यटन मित्रों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए।

पिक ऑफ द वीक

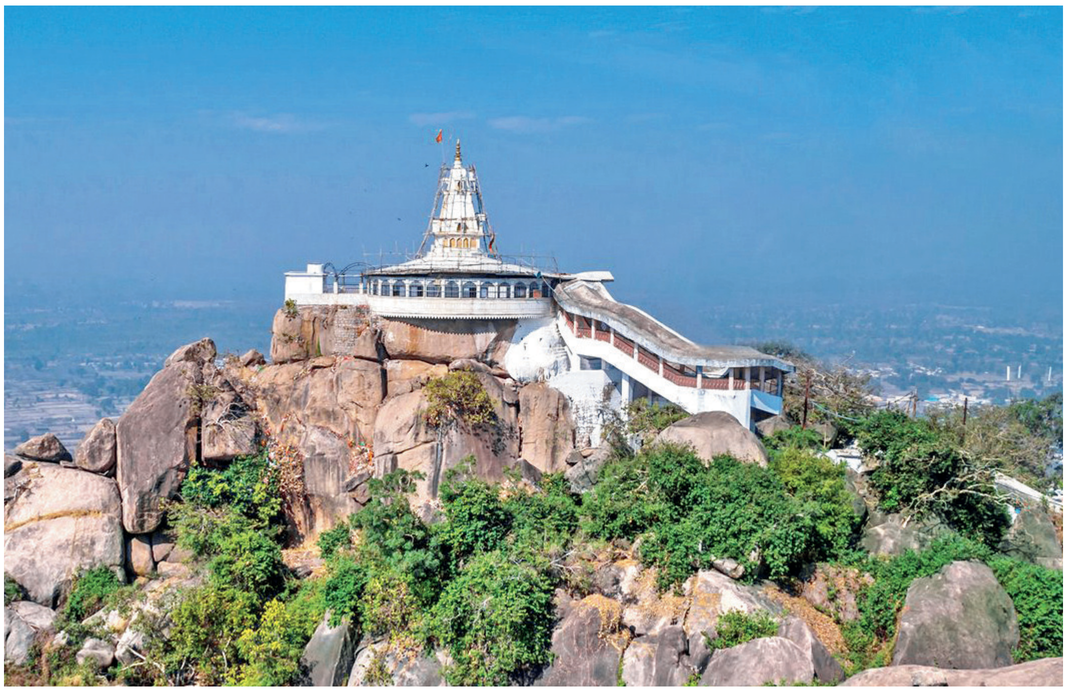

बम्लेश्वरी मंदिर(डोंगरगढ़)

बम्लेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ की 1600 फीट ऊँची पहाड़ी पर स्थित है, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रमुख तीर्थ माना जाता है। मंदिर का संचालन 1964 से माँ बम्लेश्वरी ट्रस्ट कमेटी द्वारा किया जा रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे इस मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ और रोपवे दोनों सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जो श्रद्धालुओं को आकर्षित करती हैं। यहां पहाड़ी पर स्थित मंदिर पर जाने के लिये सीढ़ीयों के अलावा रोपवे की सुविधा भी है।

छत्तीसगढ़ संदर्भ

- **भौगोलिक क्षेत्र:** 260120.331 हेक्टेयर
- **कुल विधानसभा सीट :** 4 (राजनांदगांव, डोंगरगढ़ (अ.जा.), डोंगरगांव, खुज्जी)
- **तहसील की संख्या :** 7 (राजनांदगांव, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, छुरिया, लाल बहादुर नगर, घुमका, कुमरदा)
- **विकासखण्ड :** 3 (राजनांदगांव, डोंगरगढ़, डोंगरगांव)
- **जनपद पंचायत :** 4 (राजनांदगांव, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, छुरिया)
- **नगर पंचायत:** 3 (छुरिया, डोंगरगांव, लाल बहादुर नगर)
- **ग्राम पंचायत:** 406

स्त्रोत : https://rajnandgaon.nic.in/

शहीदों के परिजनों को मिलेगी 50 लाख की अनुग्रह राशि
परमवीर चक्र प्राप्त वीर जवानों को अब 1 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में शहीद सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण को लेकर ऐतिहासिक निर्णय

छत्तीसगढ़ सरकार ने शहीद सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य सैनिक समिति की 6वीं बैठक में यह तय किया गया कि युद्ध एवं सैनिक कार्यवाही में शहीद सैनिकों की पत्नी अथवा आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया जाएगा। जिसके तहत वह शौर्य और बलिदान की मिसाल पेश करने वाले सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान व सुरक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा "हमारे सैनिक देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। उनकी वीरता और बलिदान को नमन करते हुए राज्य सरकार उनके परिवारों के कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।"

बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय

- युद्ध एवं सैनिक कार्यवाही में शहीद (बैटल कैजुअल्टी) सैनिकों की पत्नी अथवा आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई।
- परमवीर चक्र प्राप्त वीर जवानों की अनुग्रह राशि 40 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की गई।
- शहीद सैनिकों के माता-पिता को दी जाने वाली जंगी इनाम राशि 5 हजार रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई।
- युद्ध या सैनिक कार्यवाही में दिव्यांग हुए सैनिकों की अनुदान राशि 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई।
- सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं विधवाओं को 25 लाख रुपये तक के प्रथम भूमि/गृह क्रय पर स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी।

बैठक में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत

बैठक में सैनिक कल्याण संचालनालय छत्तीसगढ़ के संचालक एवं राज्य सैनिक समिति के सचिव ब्रिगेडियर विवेक शर्मा (से.नि.), विशिष्ट सेवा मेडल ने राज्य सैनिक बोर्ड की गतिविधियों और पिछली बैठक की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि समिति के एजेंडा बिंदुओं पर लिए गए निर्णयों का सीधा लाभ सैनिकों और उनके परिवारों तक पहुँचेगा।

सरकार की प्रतिबद्धता

बैठक में मौजूद सदस्यों ने शहीदों की वीर नारियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए संचालित योजनाओं पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट किया कि सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और भविष्य में भी सैनिक कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

सुकमा-बीजापुर में सीआरपीएफ की 300 पदों पर भर्ती

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में सुकमा और बीजापुर जिले में कुल 300 पदों पर भर्ती होगी। इसमें 255 पद पुरुषों और 45 पद महिलाओं के लिए निर्धारित हैं। सुकमा जिले से 129 पुरुष और 23 महिलाएं (कुल 152 पद) तथा बीजापुर से 126 पुरुष और 22 महिलाएं (कुल 148 पद) शामिल हैं। भर्ती के लिए आवेदन, पंजीकरण और रोल नंबर जारी करने की प्रक्रिया 6 अक्टूबर से 14 नवंबर 2025 तक चलेगी। शारीरिक दक्षता और मापदंड परीक्षा 21 अक्टूबर से 6 नवंबर तक होगी। भर्ती स्थल सुकमा पुलिस लाइन पुसामीपारा और बीजापुर फुटबॉल स्टेडियम रहेगा।

रेलवे सेक्शन कंट्रोलर पदों पर भर्ती, आवेदन 14 अक्टूबर तक

रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने सेक्शन कंट्रोलर पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 14 अक्टूबर तक rrbapply.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। इन पदों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन आवश्यक है। आयु सीमा 20 से 33 वर्ष तय की गई है, आवेदन हेतु उम्मीदवारों को पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर लॉगिन कर विवरण भरकर शुल्क जमा करना होगा।

PGCIL में अप्रेंटिसशिप पदों पर भर्ती, आवेदन 16 अक्टूबर तक

पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ट्रेड अप्रेंटिसशिप पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर 2025 तक www.powergrid.in पर किए जा सकेंगे। पदानुसार 10वीं, आईटीआई, डिप्लोमा, बीई/बीटेक या बीएससी धारक उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तय की गई है। आवेदन निशुल्क रहेगा। उम्मीदवारों को NATS/NAPS पंजीकरण, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक विवरण, पासपोर्ट फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे।

पी एच ई विभाग में अनुरेखक भर्ती, आवेदन 1 अक्टूबर तक

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनुरेखक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया व्यापमं के माध्यम से चल रही है। अभ्यर्थी 1 अक्टूबर शाम 5 बजे तक व्यापमं की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 2 से 4 अक्टूबर तक आवेदन में किसी भी त्रुटि को सुधारने का अवसर मिलेगा। निर्धारित परीक्षा 26 अक्टूबर को होगी और इसके लिए केवल रायपुर और बिलासपुर में ही परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन करना आवश्यक है।

जॉब अलर्ट

बीपीएससी
पद: सहायक शिक्षा विकास अधिकारी
पद संख्या: 935
अंतिम तिथि: 26 सितंबर
bpsc.bihar.gov.in

एम्स बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)
पद: टीचिंग
पद संख्या: 90
अंतिम तिथि: 29 सितंबर
aiimsbilaspur.edu.in

यूपीएससी
पद: मेडिकल ऑफिसर
पद संख्या: 213
अंतिम तिथि: 02 अक्टूबर
www.upsc.gov.in

इंडियन ओवरसीज बैंक
पद: ग्रुप ए, बी और सी
पद संख्या: 127
अंतिम तिथि: 03 अक्टूबर
www.iob.in

केनरा बैंक
पद: ट्रेनी
पद संख्या: 22000
अंतिम तिथि: 06 अक्टूबर
www.canmone y.in

उत्तराखंड चयन सेवा
पद: स्पेशल एजुकेटर
पद संख्या: 128
अंतिम तिथि: 07 अक्टूबर
www.sssc.uk.gov.in

साउदर्न रेलवे
पद: विभिन्न
पद संख्या: 67
अंतिम तिथि: 12 अक्टूबर
rrcmas.in

रोजगार और नियोजन
प्रधान संपादक
डॉ. रवि मित्तल
संपादक
जवाहर लाल दरियो
महाप्रबंधक
हीरालाल देवांगन
उप महाप्रबंधक (विपणन)
नितिन शर्मा
सहायक संपादक
गीतांजलि नेताम
संपादकीय
संदीप सिन्हा
ग्राफिक डिजाइन-इलेस्ट्रेशन
धनेश कुमार दिवाकर
डाटा एंट्री आपरेटर
अंजुरानी, राकेश साहू
वितरण व्यवस्था
विक्रांत ताम्रकार
- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री ने दी जशपुर जिले को 24 नए छात्रावास भवनों की सौगात

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले में 24 नए छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए 41 करोड़ 59 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। यह भवन अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न विकासखंडों और ग्रामों में बनाए जाएंगे, जिससे दूरदराज व वंचित वर्ग के छात्रों को सुरक्षित व अनुकूल वातावरण मिलेगा। प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

जशपुर जम्बूरी 2025 : रोमांच, संस्कृति और रोजगार का अनोखा उत्सव

बगिया स्थित कैम्प कार्यालय से 'जशपुर पर्यटन एवं कृषि क्रांति' का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किया। उन्होंने कहा कि जशपुर की प्राकृतिक सुंदरता और जनजातीय संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जशपुर जम्बूरी महत्वपूर्ण है। 2024 में पहली बार आयोजित यह उत्सव अब 6 से 9 नवम्बर 2025 तक दूसरी बार भव्य रूप में आयोजित होगा। इसमें रोमांचक गतिविधियाँ, वॉटर स्पोर्ट्स, पैरामोटर, हॉट एयर बलून, लोकनृत्य, हस्तशिल्प, पारंपरिक खेल और व्यंजनों का अनुभव मिलेगा।

8370 विद्यार्थियों को 6.2 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति व भोजन सहायता राशि जारी

रायपुर स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय सड्डू में आदि सेवा पखवाड़ा का मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान जनजातीय गांवों में जमीनी बदलाव लाएगा और ट्राइबल विजन डाक्यूमेंट 2030 दीर्घकालीन विकास का रोडमैप बनेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 8,370 विद्यार्थियों को 6.2 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति व भोजन सहायता राशि ऑनलाइन अंतरित की और विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के बच्चों के साथ भोजन किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय नायकों के आदर्शों से प्रेरित यह अभियान हर घर तक विकास पहुँचाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय रक्तदान अमृतोत्सव 2.0 कार्यक्रम में हुए शामिल

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में आयोजित रक्तदान अमृतोत्सव 2.0 कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा केवल डिग्री या नौकरी प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का मूल आधार है। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना राज्य प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा विभाग एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में प्रदेशभर के महाविद्यालयों में रक्तदान सहित विविध गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने नरहरपुर में 75.31 करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

कांकेर जिले के नरहरपुर में गोंडवाना समाज के "ठाकुर जोहारनी" कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 75 करोड़ 31 लाख 72 हजार रुपये की लागत वाले 11 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें अमोड़ा-नरहरपुर मार्ग चौड़ीकरण पर 40.22 करोड़, भैंसमुंडी-झलियामारी मार्ग पर 4.90 करोड़ तथा तीन हाई स्कूल भवन निर्माण पर 75.23-75.23 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अलावा नहरों और एनीकटों के जीर्णोद्धार व निर्माण सहित आदिवासी बालक आश्रम चरभट्टी भवन पर 1.62 करोड़ का कार्य शामिल है।

रोजगार पंजीयन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य

रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीकृत आवेदकों के लिए रोजगार पंजीयन को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। वर्ष 2024 के पूर्व पंजीयन करवाने वाले आवेदक अपने रोजगार पंजीयन को आधार से लिंक करा सकते हैं। इसके लिए आवेदक गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध CG Rojgar Portal App डाउनलोड कर सकते हैं अथवा वेबसाइट http://cgemployment.gov.in/ पर लिंकिंग की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

गंगरेल : 11 मछुआ समितियों को मिला पुनः मछली पालन का अधिकार

गंगरेल क्षेत्र की 11 मछुआ सहकारी समितियों को पुनः मछली पालन का हक मिलने पर सदस्यों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से भेंट कर आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में एम्बुलेंस उपलब्ध कराने और राष्ट्रीय बैंक शाखा खोलने का आश्वासन दिया। वंचित वर्गों के उत्थान और स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार सृजन के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। स्वच्छ भारत मिशन, जनधन योजना और आवास योजना से आमजन का जीवन बदला है। महिलाओं को रेडी-टू-ईट कार्य का जिम्मा देकर आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगस्त 2025 में छत्तीसगढ़ के 25 लाख 46 हजार 792 किसानों को 567.77 करोड़ रुपये की 20वीं किस्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई। अब तक प्रदेश के किसानों को 10,290 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिल चुकी है। योजना की शुरुआत दिसंबर 2018 में हुई थी, जिसके तहत पात्र किसानों को सालाना 6 हजार रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं। अब तक 41.69 लाख किसानों को लाभ पहुंचा है। इस बार बढ़कर 1.72 लाख नए किसान भी जुड़ गए हैं।

प्रदेश में 31 अक्टूबर तक संचालित होगा 'अंगीकार 2025' अभियान

भारत सरकार दवारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के साथ अन्य केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अभिसरण एवं व्यापक जनजागरूकता के उददेश्य से 'अंगीकार 2025' अभियान का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान 31 अक्टूबर तक प्रदेश में संचालित होगा, ताकि अधिकतम पात्र हितग्राही लाभान्वित हो सकें, इसके लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में विविध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

राष्ट्रीय

भारत की सबसे तेज ट्रेन बनी नमो भारत

भारत ने नमो भारत ट्रेन के साथ तीव्र क्षेत्रीय परिवहन के नए युग की शुरुआत की है। यह देश की सबसे तेज़ ट्रेन है, जो 160 किमी/घंटा की गति से दिल्ली- मेरठ RRTS कॉरिडोर पर चलती है और यात्रा समय 60 मिनट से भी कम कर देती है। 82.15 किमी लंबे इस कॉरिडोर में 16 स्टेशन होंगे। आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों जैसे ATP, ATC और ATO से लैस यह ट्रेन बिना आरक्षण के सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराती है। अल्सटॉम द्वारा निर्मित और मेरठ मेट्रो से एकीकृत यह परियोजना जाम और प्रदूषण घटाकर शहरी–ग्रामीण कनेक्टिविटी को गति देगी।

पांडुलिपि संरक्षण के लिए 'ज्ञान भारतम पोर्टल' लॉन्च

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 सितम्बर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 'ज्ञान भारतम पोर्टल' लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण, संरक्षण और आम जनता के लिए उपलब्ध कराना है। पोर्टल एआई-सक्षम खोज, अनुवाद और शोध कार्य को प्रोत्साहित करेगा। इस अवसर पर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित हुआ, जिसमें 1,100 से अधिक विद्वानों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। यह पहल न केवल भारत की विशाल पांडुलिपि धरोहर को संरक्षित करेगी, बल्कि इसे नई शिक्षा नीति और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से भी जोड़ेगी।

अमित खरे बने उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के सचिव

सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार अमित खरे को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव बनाया गया है। वे अक्टूबर, 2021 से पीएमओ में सामाजिक क्षेत्र से संबंधित मामले देख रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 तैयार करने और लागू करने वाली कोर टीम का हिस्सा रहे।

दिल्ली एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल 26 अक्टूबर से

दिल्ली एयरपोर्ट का अपग्रेडेड टर्मिनल-2 (टी2) 26 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इससे एयरपोर्ट हर साल 10 करोड़ यात्रियों को संभाल सकेगा। एअर इंडिया और इंडिगो की करीब 120 घरेलू उड़ानों का संचालन यहां से किया जाएगा। सबसे व्यस्त एयरपोर्ट पर अभी टी1 और टी3 टर्मिनल ही चालू हैं।

श्रीनिवास इन्जेटी बने एनएसई गवर्निंग बोर्ड के चेयरपर्सन

सेबी की मंजूरी के साथ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्रीनिवास इन्जेटी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के गवर्निंग बोर्ड का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। वे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के पहले चेयरपर्सन रह चुके हैं। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) लागू करने में उनकी अहम भूमिका रही।

आइजोल में प्रधानमंत्री ने ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम की राजधानी आइजोल से आइजोल-दिल्ली राजधानी समेत तीन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आइजोल पहली बार देश के बाकी हिस्से से रेल मार्ग से कनेक्ट हुआ। खराब मौसम की वजह से एयर कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी नहीं है।

मप्र : अब छात्रों के साथ स्कूल भी देंगे परीक्षा

मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्वच्छता और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल की गई है। यहां के स्कूलों को अब स्वच्छता और हरियाली के मापदंडों पर परखा जाएगा। इसके आधार पर उन्हें ग्रेडिंग मिलेगी। इसके लिए स्कूल अपने स्तर पर मापदंडों के अनुसार तैयारी कर पोर्टल पर पंजीयन करेंगे। इसके बाद जिला स्तरीय टीम मूल्यांकन करेगी।

केरल में हर मंगलवार अब महिला वेलनेस क्लीनिक

केरल के 5,000 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) पर हर मंगलवार महिलाओं के लिए विशेष वेलनेस क्लीनिक चलाए जाएंगे। महिलाएं यहां जाकर जरूरी परामर्श ले सकेंगी। मातृत्व से जुड़ी देखभाल, कैंसर, एनीमिया, मधुमेह, रक्तचाप (बीपी) जैसी बीमारियों की स्क्रीनिंग और जांच की सुविधा भी मिलेगी।

मुंबई: अब 100 एकड़ में सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगी

नवी मुंबई सेमीकंडक्टर हब बनेगा। यहां आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स को सेमीकंडक्टर फैब यूनिट लगाने के लिए 100 एकड़ जमीन दी गई। 12 हजार करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में सचिन तेंदुलकर भी निवेशक हैं। प्रोजेक्ट क्षमता हर महीने 1.25 लाख वेफर्स बनाने की होगी। कंपनी का कहना है कि वो टेक्सास की फैब यूनिट को यह स्थापित करेगी।

10 लाख रुपये तक की खरीदारी का भुगतान यूपीआई से किया जा सकेगा

15 सितंबर से कोई भी व्यक्ति 10 लाख रुपये तक की खरीदारी का भुगतान यूपीआई के जरिए कर सकेगा। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने पर्सन-टू-मर्चेंट (पी2एम) यूपीआई लेनदेन की सीमा बढ़ा दी है।

आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राष्ट्रपति भवन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से सी.पी. राधाकृष्णन का इस्तीफा देने और भारत के उप-राष्ट्रपति के रूप में उनके चयनित होने के बाद आचार्य देवव्रत को यह जिम्मेदारी दी गई है।

भारत को मिल सकते हैं 114 नए राफेल, रक्षा क्षमता में होगी ऐतिहासिक बढ़ोतरी

भारतीय वायुसेना (IAF) ने 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव रखा है, जिसकी लागत लगभग 2 लाख करोड़ होगी। यह सौदा 'मेक इन इंडिया' के तहत होगा, जिसमें 60% से अधिक निर्माण भारत में होगा। टाटा ग्रुप और डसॉल्ट एविएशन जैसी कंपनियां इसमें शामिल होंगी।

अंतरराष्ट्रीय

प्रोजेक्ट रीबर्थ: क्रैश-प्रूफ विमान का नया कॉन्सेप्ट, एआई से होगा कंट्रोल

अहमदाबाद में एअर इंडिया विमान हादसे से सबक लेते हुए इंजीनियर्स ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार किया है, जिससे कोई विमान कभी भी क्रैश नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को 'प्रोजेक्ट रीबर्थ' नाम दिया गया है और इसे दुबई के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के दो इंजीनियर्स एशेल वसीम और धरसन श्रीनिवासन ने तैयार किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता चलता है कि 3 हजार फीट से कम ऊंचाई पर किसी घटना का जरा भी अंदेशा होता है और उसे टाला नहीं जा सकता है तो ऐसी स्थिति में यह सिस्टम अपने आप एक्टिव हो जाता है। दो सेकेंड से भी कम समय में विमान के अगले हिस्से, बीच के हिस्से और सबसे पीछे वाले हिस्से, तीनों जगह से बड़े-बड़े 'कवच' बाहर निकलेंगे।

नेपाल के तीन नवनियुक्त मंत्रियों ने शपथ ली

नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में तीन नवनियुक्त मंत्रियों ने पद की शपथ ली, जिनमें बिजली बोर्ड के पूर्व सीईओ कुलमन घीसिंग भी शामिल हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में यह कार्यक्रम आयोजित किया।

भारत के 7 नए प्राकृतिक स्थल यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल

भारत ने 12 सितंबर 2025 को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में 7 नए प्राकृतिक स्थलों को शामिल किया है। इनमें महाराष्ट्र के डेक्कन ट्रैप्स, कर्नाटक के सेंट मैरीज द्वीप, मेघालयन युग की गुफाएँ, नागालैंड का नागा हिल ओफियोलाइट, आंध्रप्रदेश के एर्रा मट्टी डिब्बालु और तिरुमला हिल्स तथा केरल का वर्कला क्लिफ शामिल हैं। इसके साथ भारत की अस्थायी सूची में कुल 69 स्थल हो गए हैं, जिनमें 49 सांस्कृतिक, 17 प्राकृतिक और 3 मिश्रित स्थल हैं। यह कदम भारत की सांस्कृतिक कूटनीति, पर्यावरण संरक्षण और सतत पर्यटन के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

भारत ने फ़िलिस्तीन दो-राष्ट्र समाधान पर UN प्रस्ताव का समर्थन

भारत ने 12 सितम्बर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित "न्यूयॉर्क घोषणा" के पक्ष में मतदान कर फ़िलिस्तीन मुद्दे पर दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन किया। इस प्रस्ताव को 142 देशों ने समर्थन दिया, 10 ने विरोध किया और 12 देश अनुपस्थित रहे। फ्रांस और सऊदी अरब द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव का उद्देश्य इज़रायल और फ़िलिस्तीन के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करना है। भारत की नीति हमेशा से एक स्वतंत्र, संप्रभु फ़िलिस्तीन के साथ सुरक्षित इज़रायल की मान्यता पर आधारित रही है। यह कदम भारत की ऐतिहासिक स्थिति को पुनः पुष्ट करता है और वैश्विक शांति प्रयासों को मजबूती प्रदान करता है।

सुशीला कार्की बनीं नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भवन में ली शपथ

पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा शपथ दिलाई गई। सुशीला कार्की के अंतरिम मंत्रिमंडल में कोई मंत्री शामिल नहीं किया गया। यह फैसला केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद आया है, जो भ्रष्टाचार और अधिनायकवाद के खिलाफ जनरेशन जेड के हिंसक प्रदर्शनों का नतीजा है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख अशोक राज सिग्देल के बीच चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। एक संवैधानिक विशेषज्ञ ने गुमनामी की शर्त पर पुष्टि की कि कार्की को जनरेशन जेड प्रदर्शनकारियों का समर्थन प्राप्त है।

चीनी वैज्ञानिकों ने बनाया बोन ग्लू, जो तीन मिनट में टूटी हड्डी जोड़ देगा

हादसों में फ्रेक्चर होने पर इसे ठीक होने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन चीनी वैज्ञानिकों ने अब ऐसा बोन ग्लू विकसित किया है, जिससे तीन मिनट में फ्रेक्चर हुई और टूटी हड्डियों का इलाज किया जा सकता है। पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत में एक शोध दल ने हाल ही में 'बोन 02' नामक बोन ग्लू लॉन्च किया है। इसे बनाने वाले डॉ. लिन जियानफेंग ने बताया कि पानी के नीचे एक पुल से मजबूती से चिपके हुए सीपों को देखकर बोन ग्लू का आइडिया आया।

INS निस्टर सिंगापुर में 'पैसिफिक रीच 2025' अभ्यास में शामिल

भारत का स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्टर सिंगापुर के चांगि नेवल बेस पहुँचा और बहुराष्ट्रीय Exercise Pacific Reach 2025 में भाग लिया। 18 जुलाई 2025 को कमीशन हुआ INS निस्टर 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित है यह अभ्यास, जिसमें 40 से अधिक देश शामिल हैं, हार्बर और सी फेज़ में विभाजित है और सबमरीन रेस्क्यू व इंटरऑपरेबिलिटी ड्रिल्स पर केंद्रित है। INS निस्टर की भागीदारी भारत की समुद्री सुरक्षा, अंडरवाटर रेस्क्यू क्षमता और अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक सहयोग को नई मजबूती देती है।

नॉर्वे उड़ाएगा इलेक्ट्रिक प्लेन 30% कम खर्च में होगी उड़ान

नॉर्वे ने पहली बार दो बड़े शहरों स्टावेंगर और बर्गन के बीच इलेक्ट्रिक विमान की टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक पूरी की। नॉर्वे ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इलेक्ट्रिक फ्लाइट की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस देश में 2024 में बिकने वाली 90% नई कारें इलेक्ट्रिक हैं। टेस्ट फ्लाइट में इस्तेमाल हुआ 'आलिया सीएक्स 300' विमान अमेरिका की कंपनी 'बीटा टेक्नोलॉजीज' ने बनाया है। यह 50 फीट विंगस्पैन वाला विमान है, जो 283 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है।

अमेरिका-दक्षिण कोरिया-जापान ने शुरू किया 'फ्रीडम ऐज' सैन्य अभ्यास

अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने 15 सितम्बर 2025 को जेजू द्वीप के पास संयुक्त हवाई और नौसैनिक अभ्यास फ्रीडम ऐज शुरू किया। 19 सितम्बर तक चलने वाला यह बहु-क्षेत्रीय अभ्यास मिसाइल रक्षा, वायु-समुद्री अभियान, साइबर समन्वय और मेडिकल इवैक्यूएशन पर केंद्रित है। अमेरिकी इंडो-पैसिफिक कमांड ने इसे अब तक का सबसे आधुनिक त्रिपक्षीय अभ्यास बताया। उत्तर कोरिया ने इसे उकसावे की कार्रवाई करार दिया।

स्रोत : pib, newsonair, ptinews, aninews

खेल / कला

बैडमिंटन में 25 सेकेंड टाइम क्लॉक नियम लागू

विश्व बैडमिंटन महासंघ (BWF) ने 2026 से चयनित विश्व टूर टूर्नामेंटों में 25 सेकेंड टाइम क्लॉक नियम लागू करने की मंजूरी दी है। इसके तहत प्रत्येक रैली समाप्त होने के बाद खिलाड़ी को अगली रैली के लिए 25 सेकेंड के भीतर तैयार होना अनिवार्य होगा। यह कदम मैच की गति बढ़ाने और खेल को अधिक रोमांचक बनाने के लिए उठाया गया है। टाइम क्लॉक प्रणाली का पहला परीक्षण 18 से 23 नवंबर 2025 तक आयोजित प्रतियोगिताओं में किया जाएगा। BWF का यह निर्णय खिलाड़ियों की तैयारी समय को नियंत्रित कर मैच की निरंतरता सुनिश्चित करेगा।

वेब श्रृंखला 'द स्टूडियो' ने 13 पुरस्कार जीत रचा इतिहास

कॉमेडी वेब श्रृंखला 'द स्टूडियो' ने एमी अवॉर्ड्स में कुल 13 पुरस्कार जीतकर एक सीजन में सबसे अधिक पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड बना लिया। कॉमेडी अभिनय, निर्देशन और लेखन में जीत हासिल कर सेठ रोगन की 'एप्पल टीवी प्लस' श्रृंखला 'द स्टूडियो' ने 'द बियर' का पिछले साल 11 पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं, 'एडोलसेंस' ने छह श्रेणियों में और 'द पिट' ने ड्रामा श्रेणी में पुरस्कार जीते।

शूटिंग : 20 वर्षीय एशा सिंह ने हौसले से वर्ल्ड कप में पहली बार गोल्ड जीता

भारतीय निशानेबाज एशा सिंह ने चीन में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भारत का मेडल सूखा खत्म किया। एशा ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में मात्र 0.1 अंक के अंतर से गोल्ड मेडल जीत लिया। 20 वर्षीय एशा ने वर्ल्ड कप में पहली बार इंडिविजुअल गोल्ड मेडल हासिल किया। भारत मेडल टेबल में पांचवें स्थान पर पहुंच गया। भारत ने टूर्नामेंट में अपने चौथे से छठे स्थान के निशानेबाजों को रेंज में उतारा।

रेस वॉक : वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मारिया बनीं चैंपियन

वर्ल्ड एथलेटिक्स की शुरुआत 35 किमी वॉक रेस से हुई। महिलाओं की रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और पिछली विजेता मारिया पेरेज चैम्पियन बनीं। स्पेन की मारिया ने 2:39:01 में गोल्ड अपने नाम किया। यह उनका तीसरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप गोल्ड है। मारिया ने 2023 बुडापेस्ट में 20 किमी रेस वॉक और 35 किमी रेस वॉक भी जीती थी।

राज ने ओपन आर्चरी टूर्नामेंट में जीता कांस्य

खेलो इंडिया द्वारा पटना में 12 से 14 सितंबर तक जोनल ओपन आर्चरी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया और शानदार प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया आर्चरी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कैलाश मुरारका ने बताया कि टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के राज सोरठे ने रिकर्व इवेंट में कांस्य पदक और 10 हजार रुपए की पुरस्कार राशि जीता।

वर्ल्ड बॉक्सिंग में मीनाक्षी ने तीन बार की विश्व विजेता को हराया

भारत ने इंग्लैंड में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दूसरा गोल्ड जीत लिया है। मीनाक्षी ने 48kg वेट कैटेगरी के फाइनल मुकाबले में 3 बार की विश्व विजेता कजाकिस्तान की नजिम काईजीबे को 4-1 से हराया। मीनाक्षी इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय बॉक्सर हैं। मीनाक्षी से पहले जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम में पोलैंड की जूलिया स्जेरेमेटा को 4-1 से मात दी। इसी के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप के मौजूदा सीजन में भारत ने चौथा मेडल जीत लिया है। इनमें एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज भी शामिल हैं। नूपुर 80 किलोग्राम का फाइनल मुकाबला हार गईं। जबकि पूजा रानी को 80 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा।

शूटिंग में मेघना ने जीता पहला विश्व कप पदक

निंगबो (चीन) में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ए. मेघना सज्जनार ने 230.0 का स्कोर बनाकर कांस्य पदक जीतकर भारत को विश्व कप में पहला पदक दिलाया। चीन की पेंग शिनलू ने 255.3 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक और नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, वहीं हमवतन वांग ज.फ़ि.ई ने 254.8 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता। नॉर्वे की जेनेट हेग डुएस्टैड ने रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने विश्व कप में पांचवां स्थान हासिल किया। ईशा सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीतकर शानदार शुरुआत की थी।

राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बीजापुर ने रचा स्वर्णिम इतिहास

बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में 5 से 7 सितम्बर तक आयोजित 22वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बीजापुर खेल अकादमी ने पहली बार शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीते। 20 खिलाड़ियों की टीम ने जिले का नाम पूरे प्रदेश में गौरवान्वित किया। लक्ष्मण हपका, नताशा तेलामी, सविता कुहरामी, निर्मती तेलम, संतोषी भंडारी और अंजली ने स्वर्ण पदक अर्जित किए। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 खिलाड़ी अब 10 से 14 अक्टूबर तक भुवनेश्वर में आयोजित 40वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे।

कुश्तीः अंतिम पंघाल विश्व स्तर पर दो ब्रॉन्ज जीतने वाली दूसरी भारतीय बनीं

वर्ल्ड कुश्ती चैम्पियनशिप में अंतिम पंघाल ने भारत को पहला मेडल दिलाया। उन्होंने 53 किग्रा वर्ग के ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्वीडन की एमा माल्मग्रेन को 9-1 से हराया। 21 वर्षीय अंतिम का यह दूसरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल है। वे विनेश फोगाट के बाद विश्व स्तर पर दो ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय हैं।

बॉक्सिंग : जैसमिन वर्ल्ड चैम्पियनशिप फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय

भारत की जैसमिन (57 किग्रा) ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2025 के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में वेनेजुएला की ओमेलीन कैरोलिना अल्काला सेगोविया को 5-0 से हराया। जैसमिन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं।

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास शाखा) जिला-बस्तर जगदलपुर

क्रमांक / 4172/256/आ.वि./व.अ./2025/ जगदलपुर, दिनांक 12/09/2025

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवसी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियमों की प्रभावी एवं सूचारू क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर तथा चिन्हित अनुभाग स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ में क्रमशः जिला स्तरीय समन्वयक (समन्वयक वन अधिकार अधिनियम) एवं एमआईएस सहायक (सहायक वन अधिकार अधिनियम) की नियुक्ति किया जाना है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	पद का नाम	मानदेय (यात्रा व्यय सहित)	पद की संख्या	निर्धारित अवधि	स्तर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला स्तरीय समन्वयक (समन्वयक- वन अधिकार अधिनियम)	30,000/-	01 (अनारक्षित)	01 वर्ष	जिला स्तर	जिला स्तरीय समिति स्तर पर
2	एमआईएस सहायक (सहायक-वन अधिकार अधिनियम)	20,000/-	03 (01 पद अनु.ज.जा. दिव्यांग 01 अनारक्षित मुक्त 01 अनु.ज.जा.मुक्त)	01 वर्ष	चिन्हित अनुभाग स्तर पर	जिले के उपखण्ड स्तरीय समिति स्तर पर

पद की शर्ते :-

1. यह पद अशासकीय एवं पूर्णतः अस्थायी होंगे तथा निर्धारित एवं नियत की गई अवधि के अतंर्गत सीमित होगें।
2. यह पद पूर्णतः अस्थानांतरणीय (Non Transferable) होगें।
3. धरती आबा-जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अतंर्गत वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु वन अधिकार प्रकोष्ठ के गठन हेतु प्राप्त बजट अनुसार प्रथमतः 01 वर्ष तक सीमित होगी एवं द्वितीय वर्ष हेतु बजट प्राप्ति की दशा में द्वितीय वर्ष तक पदावधि का विस्तार होगा।

पात्रता की शर्तें :-

क. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो। कम्प्यूटर का ज्ञान (मान्यता प्राप्त संस्था से PGDCA) होना चाहिए। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन का (समन्वयक वन अधिकार अधिनियम के लिए न्यूनतम 03 वर्ष एवं सहायक वन अधिकार अधिनियम के लिए न्यूनतम 02 वर्ष) मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हो जैसे- जिले में जिला स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ तथा उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ में कार्यरत रहे जिला परियोजना समन्वयक तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ता को वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित अनुभव के आधार पर weightage दिया जा सकता है। इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी शासकीय अथवा FRA क्रियान्वयन के क्षेत्र में पंजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

ख. अधिकतम आयु 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

ग. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। जनजातीय परंपराओं, रीतिरिवाजों, संस्कृति की सामान्य जानकारी होनी चाहिए।

घ. अभ्यर्थी को मैदानी क्षेत्र भ्रमण कर क्रियान्वयन संबंधित समस्याओं का आंकलन किया जाना होगा। अतः विकलांगता की स्थिति में विशेषज्ञ (चिकित्सक) के मुल्यांकन के आधार पर उम्मिदवारी पर मान्य / विचार किया जावेगा।

4. आवेदन की प्रक्रिया तथा निर्धारित तिथिः-

(i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर तथा आवश्यक दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर विज्ञापन जारी होने के दिनांक से (21) इक्कीस दिवस के भीतर जिला मुख्यालय के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के कार्यालय में प्रस्तुत / जमा करेंगे।

(ii) आवेदन पत्र के परीक्षण उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्र के आधार पर पात्रता रखने वाले आवेदकों को संबंधित जिला मुख्यालय में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा। आवेदक को साक्षात्कार हेतु आने जाने का व्यय स्वयं वहन करना होगा।

(iii) साक्षात्कार के समय शैक्षणिक तथा अनुभव संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। साक्षात्कार के लिये निर्धारित तिथि से दूरभाष / ईमेल माध्यम से अवगत कराया जावेगा।

(iv) साक्षात्कार हेतु जिला कलेक्टर/अध्यक्ष, डीएलसी द्वारा जिला स्तर पर समिति का गठन किया जावेगा। निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार समिति द्वारा प्रत्येक पात्र आवेदक का साक्षात्कार लिया जायेगा। साक्षात्कार समिति में मुख्यालय से विषय विशेषज्ञों एवं अन्य को आमंत्रित किया जा सकता है।

(v) विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि में प्राप्त प्रतिशत पर अधिकतम 70 अंक, कम्प्यूटर ज्ञान पर अधिकतम 10 अंक, अनुभव (प्रति पूर्ण वर्ष 2 अंक के मान से) अधिकतम 10 अंक, तथा साक्षात्कार पर 10 अंक दिया जाकर मेरिट सूची तैयार कर सफल / चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना की जायेगी। सफल अभ्यर्थियों को 02 सप्ताह में कार्यस्थल पर कार्य पर उपस्थिति देनी होगी अन्यथा कार्य पर उपस्थित न होने की दशा में प्रतीक्षा सूची से अन्य अभ्यर्थी को अवसर दिया जायेगा, इस संबंध में सक्षम प्राधिकरी (जिला कलेक्टर) का निर्णय अंतिम होगा।

(vi) पदस्थापना जिला स्तर पर सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) द्वारा की जायेगी, इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

पद के कर्तव्य

जिला स्तरीय समन्वयक (समन्वयक-वन अधिकार अधिनियम)- (जिला स्तर)

1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन अंतर्गत सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में एफआरए शाखा में पदस्थ शाखा प्रभारी को वन अधिकार अधिनियम से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा- एफआरए एमपीआर, क्यूपीआर एवं समय-समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियों के संग्रहण एवं विश्लेषण में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
2 वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सभी समितियों/ग्रामसभा के सदस्यों/मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन अंतर्गत अधिनियम की धारा 3 (1) एवं 3 (2) में उल्लेखित अधिकारों से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा दावा पश्च कार्य जैसे सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के सुसंगत योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से आजीविका संवर्धन प्रदान करना। प्रशिक्षण पश्चात वन अधिकार समितियों के सदस्य / मैदानी कर्मचारियों को वन अधिकार दावा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध तरीके से सामंजस्य स्थापित करना।
3. वन अधिकारों की मान्यता एवं सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति (DLC) एवं जिला स्तरीय निगरानी समिति (DLMC) के गठन/पुनर्गठन, बैठक एवं समिति द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशानुसार कार्यवाही किए जाने में आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
4. वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण, दस्तावेजों के संबंधित विभागों के अभिलेखों में अद्यतनीकरण, फौती, नामांतरण आदि कार्यों में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
5. विभाग द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से संबंधित कार्यों के कियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
6. मैदानी क्षेत्र भ्रमण कर क्रियान्वयन संबंधित समस्याओं का आंकलन कर निराकरण हेतु संबंधित समितियों, विभागों एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित करना।
7. राज्य स्तर एवं अनुभाग स्तर पर एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित कर क्रियान्वयन को बेहतर करना।
8. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करना।
9. विभाग द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले मैदानी क्षेत्र के निरीक्षण, अध्ययन एवं तकनीकी सहयोग संबंधी भ्रमण के दौरान आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्रदान करना।
10. अधिनियम के व्यावहारिक जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न माध्यम से जैसे जागरूकता शिविर, कार्यशाला एवं परामर्शदात्री बैठकों इत्यादि में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
11. जिला स्तर पर वन अधिकार पर काम कर रहे गैर सरकारी संस्थाओ से वन अधिकार दावा व प्रबंधन प्रक्रिया मे गति हेतु आवश्यक संवाद स्थापित करना।
12. एमआईएस सहायक (सहायक वन अधिकार अधिनियम) के साथ सामंजस्यपूर्ण कार्य करना एवं वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक मागदर्शन प्रदान करना।
13. विभाग / विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
14. संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को रिपोर्टिंग करना।
15. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन आनुषांगिक कार्य ही करना।
16. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के समय वनों से संबंधित अन्य विधियों तथा नीतियों संबंधित आवश्यक कार्यवाही को राज्य स्तर से मागदर्शन प्राप्त कर कार्यवाही करना।
17. अनुभाग स्तर पर एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना।

एमआईएस सहायक (सहायक वन अधिकार अधिनियम)- (उपखण्ड स्तर)

1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन अंतर्गत अनुभाग / उपखण्ड में पदस्थ वन अधिकार शाखा प्रभारी को वन अधिकार अधिनियम से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा- एफआरए एमपीआर, क्यूपीआर एवं समय-समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियों के संग्रहण एवं विश्लेषण में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
2. वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सभी समितियों / ग्रामसभा के सदस्यों / मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन अंतर्गत अधिनियम की धारा 3 (1) एवं 3 (2) में उल्लेखित अधिकारों से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा दावा पश्च कार्य जैसे सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के सुसंगत योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से आजीविका संवर्धन प्रदान करना। प्रशिक्षण पश्चात वन अधिकार समितियों के सदस्य/मैदानी कर्मचारियों को वन अधिकार दावा संबंधी

क्रमशः

(पिछले पृष्ठ का शेष)

समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध तरीके से सामंजस्य स्थापित करना।

3. वन अधिकारों की मान्यता एवं सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति के गठन/पुनर्गठन, बैठक एवं समिति द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशानुसार कार्यवाही किए जाने में आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
4. वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण, दस्तावेजों के संबंधित विभागों के अभिलेखों में अद्यतनीकरण, फौती, नामांतरण आदि कार्यों में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
5. विभाग द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
6. मैदानी क्षेत्र भ्रमण कर कियान्वयन संबंधित समस्याओं का आंकलन कर निराकरण हेतु संबंधित समितियों, विभागों एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित करना।
7. जिला स्तर एवं ग्रामसभा तथा मैदानी स्तर के कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित कर क्रियान्वयन को बेहतर करना।
8. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच उपखण्ड/अनुभाग एवं मैदानी स्तर पर समन्वय स्थापित करना।
9. विभाग द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले मैदानी क्षेत्र के निरीक्षण, अध्ययन एवं तकनीकी सहयोग संबंधी भ्रमण के दौरान आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्रदान करना।
10. अधिनियम के व्यावहारिक जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न माध्यम से जैसे जागरूकता शिविर, कार्यशाला एवं परामर्शदात्री बैठकों इत्यादि में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
11. मैदानी स्तर पर वन अधिकार पर काम कर रहे गैर सरकारी संस्थाओ से वन अधिकार दावा व प्रबंधन प्रक्रिया मे गति हेतु आवश्यक संवाद स्थापित करना।
12. जिला परियोजना समन्वयक के साथ सामंजस्यपूर्ण कार्य करना एवं वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
13. विभाग/विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
14. पदेन सचिव, उपखण्ड स्तरीय समिति को रिपोर्टिंग करना।
15. वन अधिकार अधिनियम के कियान्वयन आनुषांगिक कार्य ही करना।
16. वन अधिकार समितियों के सदस्य / मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना एवं समस्याओं का निराकरण में सहयोग करना।

(कलेक्टर/अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास जगदलपुर

पद नाम------------ आवेदन पंजीकरण क्रमांक-------------------------
(कार्यालयीन उपयोग के लिये)

आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र
वर्ष 2025-26

स्वयं सत्यापित फोटो चस्पा करें

1. आवेदक का नामः
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि (DD/MM/YYYY):
4. आवेदक की श्रेणी :(सामान्य/अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व.)
5. मूल निवासी :
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. निवास का पता ई-मेल सहित : (फोन/मोबाईल नंबर)
7. शैक्षणिक योग्यताः (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र	बोर्ड परीक्षा का नाम	शामिल होने का वर्ष	परीक्षा परिणाम	प्रतिशत
1	हाईस्कूल			
2	हायर सेकेण्डरी			
3	स्नातक			
4	अन्य			

8. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का अनुभव की कुल अवधिः
(अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र	शासकीय/अशासकीय संस्था का नाम	कार्य अवधि		कार्याभार का प्रकार
		कब से	कब तक	

घोषणा पत्र

मैं------ घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी सही है। दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर मेरा आवेदन/नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

हस्ताक्षर---------
नाम-------------
दिनांक-----------

आर.ओ.143/जी-252603494/4

कार्यालय अधिष्ठाता
भारत रत्न स्व० श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति, चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगॉव (छ.ग.)

Office Phone: 07744-296105, Website: abvmgmerajnandgaon.ac.in
Email: gmc.rjn@gmail.com

क्रमांक / 5395 / चिकि./स्था./2025 राजनांदगांव, दिनांक---/09/2025

// संविदा भर्ती सूचना //

भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव (छ.ग.) के विभिन्न विभागों में चिकित्सा शिक्षक/ चिकित्सकों के वर्तमान में रिक्त पदों पर छ०ग० सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में उल्लेखित शर्तों के अधीन संविदा आधार पर भर्ती किये जाने हेतु प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ बुधवार को एवं अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव (छ.ग.) में वॉक-इन-इन्टरव्यू आयोजित किया जाना है।

उक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव (छ.ग.) के वेबसाईट abvmgmcrajnandgaon .ac.in से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

अधिष्ठाता
भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति,
चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगाँव (छत्तीसगढ़)

आर.ओ.144/जी-252603496/4

ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा प्रभाग
चतुर्थतल, ब्लॉक-ए, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर 492002 (छ.ग.)

फोन नं.-0771-2221766 एवं नं.-0771-2511549 email-handloomraipur@gmail.com

क्रमांक/हा./बि.म.पु.यो./2025-26/1172 रायपुर, दिनांक 6/09/2025

" स्व. श्री बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार योजनांतर्गत" वर्ष 2024-25 के लिए प्रविष्टियों आमंत्रण हेतु संक्षिप्त विज्ञापन सूचना

छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रदेश के हाथकरघा वस्त्र उद्योग को संरक्षण तथा बढ़ावा देने तथा हाथकरघों पर वस्त्र उत्पादन की पारम्परिक कला संस्कृति की अनुपमा को अक्षुण बनाए रखने एवं बुनकरों की कल्पनाशीलता, योग्यता, तथा कारीगरी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से " स्व. श्री बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार योजना" की स्थापना की गयी है। इस योजना के तहत प्रदेश में हाथकरघा वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में एक सर्वश्रेष्ठ बुनकर को राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मण्डल (जूरी) द्वारा चयन होने पर राशि रू. 2.00 लाख (अक्षरी दो लाख रूपये) नगद पुरस्कार तथा प्रतीक चिन्ह, शाल एवं श्रीफल के रूप में दिया जायेगा, परन्तु चयन समिति के निर्णय के आधार पर पुरस्कार की नगद राशि अधिकतम दो व्यक्तियों के मध्य विभाजित हो सकती है।

" स्व. श्री बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार योजना" वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश के बुनकरों से आवेदन सहित दिनांक 17.10.2025 सायं 4:00 बजे तक प्रविष्टियों आमंत्रित की जाती है। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नही किया जावेगा। इस विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र प्रारूप सहित www.ruralindustries.cg.gov.in में डाउनलोड की जा सकती है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।
(संचालक, ग्रामोद्योग द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक
ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा
छत्तीसगढ़, रायपुर

आर.ओ.145/जी-252603553/3

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी

महिला एवं बाल विकास विभाग जिला-कबीरधाम (छ०ग०)

क्रमांक 380/मबावि/नबि/2025 कबीरधाम, दिनांक 15/09/2025

"सखी" वन स्टॉप सेंटर जिला कबीरधाम छ०ग० में सेवा प्रदाताओं के रुप में कार्य करने हेतु केवल महिला आवेदकों के लिए भर्ती के संबंध में विज्ञापन

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग का पत्र क्रमांक/10478/मबावि/मसमि/सखी-4/2024-25 नवा रायपुर, दिनांक 27.11.2024 के द्वारा कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कबीरधाम छ०ग० द्वारा संचालित "सखी" वन स्टॉप सेंटर कवर्धा में दैनिक कार्यो के संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाहियों के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है। इस हेतु पात्र महिला आवेदकों से (व्यक्तिगत सेवाप्रदाता) निम्नानुसार उल्लेखित कार्यों/पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है। इस हेतु दिनांक 15.10.2025 तक समय शाम 05:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कबीरधाम छ०ग० में स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक/कोरियर के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेगें। "सखी" वन स्टॉप सेंटर में व्यक्तिगत सेवाप्रदाता के रूप में केवल महिलाओं की सेवायें प्राप्त की जायेगी।

"सखी" वन स्टॉप सेंटर के संचालन हेतु सेवा प्रदाताओं के पदों का विवरण :-

क्र	सेवाप्रदाता का पद नाम	सेवा प्रदाताओं की संख्या					मासिक सेवा शुल्क	वेतन मैट्रिक्स में लेवल (केवल यात्रा व्यय, भत्ता भुगतान गणना के लिए)
		UR	ST	SC	OBC	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	केन्द्र प्रशासक	01	0	0	0	01	31450	(लेवल-10)
02	साईको सोशल काउंसलर	01	0	0	0	01	25780	(लेवल-8)
03	केस वर्कर	0	01	0	0	01	18420	(लेवल-6)
04	पैरा लीगल कर्मिक/वकील	01	0	0	0	01	18420	(लेवल-6)
05	पैरा मेडिकल कार्मिक	01	0	0	0	01	18420	(लेवल-6)
06	कार्यालय सहायक	01	0	0	0	01	18420	(लेवल-6)
07	सुरक्षा गार्ड/नाईट गार्ड	02	01	0	0	03	11360	(लेवल-1)

उक्त पदों हेतु आवेदन निर्धारित प्रारुप में टंकित कराया जा कर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से दिनांक 15.10.2025 तक शाम 05:30 बजे तक कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी मबावि जिला कबीरधाम के पते पर आमंत्रित किये जाते हैं।

"सखी" वन स्टॉप सेंटर कबीरधाम में रिक्त सेवाप्रदाताओं की जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कबीरधाम छ०ग० से प्राप्त की जा सकती है तथा आवेदन प्रपत्र तथा चयन के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, कार्यदायित्व एवं अन्य विवरण www.kawardha.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

"सखी" वन स्टॉप सेंटर हेतु सेवा प्रदाताओं के चयन हेतु अर्हताएं, मापदंड एवं अन्य शर्ते //

भारत शासन द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत दिए गए मार्गदर्शी निर्देश, "सखी" वन स्टॉप सेंटर हेतु समय-समय पर जारी भारत शासन एवं राज्य शासन के दिशा निर्देश के आधार पर "सखी" वन स्टॉप सेंटर की सेवाप्रदाता के चयन हेतु उल्लेखित न्यूनतम अर्हता, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव एवं वांछित अतिरिक्त योग्यता एवं अन्य शर्तों का विवरण निम्नानुसार हैं। यह निर्देश संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र के 8688/सखी/मबावि/16-17 दिनांक 20.01.2017 में जारी निर्देशों में संशोधन करते हुए तथा मिशन शक्ति अंतर्गत जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र (DHEW) में चयन हेतु जारी निर्देशों का अनुसरण करते हुए निर्धारित किया गया है। "सखी" वन स्टॉप सेंटर जिला कबीरधाम हेतु पद संख्या, निर्धारित सेवाशुल्क, चयन के मापदंड, अन्य सुविधाएं, चयन हेतु अर्हता, मापदंड एवं शर्ते, आयु सीमा, नियुक्ति प्रक्रिया तथा अन्य बिंदुओं का विवरण निम्नानुसार हैः-

1. सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवाप्रदाता हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव तथा कार्यदायित्व :-

S. no.	Position	No.of Staff	Qualification	Roles & Responsibility
01	Central Administrator	01	• Any woman having a Masters in Law/ Social Work/ Sociology/Social Science / Psychology with at least 5 years' experience of working on women related relevant domains in an administrative set-up with a Government or Non-Government project/programme and preferably with at least 1 year experience of counselling either within outside the same set-up. • She should be preferably a resident of the local community so that local human resource and expertise is utilised for effective functioning of the centre.	• The Centre Administrator would be a woman with requisite qualification available at OSC. She will be a residential staff attached to OSC. • The Centre Administrator would be in charge of functioning of OSC. She would be the first point of contact with the woman who is accessing OSC. • The Centre Administrator would interact with every woman seeking OSC's intervention for addressing violence. • The Centre Administrator will listen to the grievance, document the case history and register the case in the online/web -based case management system to generate a Unique Identity Number (UID). • The Centre Administrator would be responsible for supervision of each case, taking it to a logical conclusion and later following up with the aggrieved woman. • As soon as the complaint is registered, the Centre Administrator will send a text (SMS/Internet) to the DPO/PO/CDPO/SHO/ DM/SP/ DYSP/CMO of the district in which the women is located at the time of accessing OSC. • The Centre Administrator would be responsible for coordination with all stakeholders (police station, hospital, legal aid, counselling), registration of cases in the absence of the IT Staft. • The Centre Administrator will consolidate a list of agencies/individuals providing/willing to provide legal/medical/psycho-social counselling services at OSC. • The Centre Administrator coordinate with CBOs specialized in addressing violence against women, Gender Cells, Women's Study Centres at Universities to seek technical inputs in terms of training and capacity building of women affected by violence. • The Centre Administrator will monitor the functioning of OSC, (including the work of the staff), facilitate capacity building, guide and support the team of caregivers. • The Centre Administrator would approve the quarterly report prepared by the IT Staff to be submitted to the Management Committee (MC) through Implementing Agency (IA). • The Centre Administrator would also document the case studies/success stories as per the prescribed format. • The Quarterly Report has to be submitted 15 days prior to the end of each Quarter. • The Centre Administrator will meet the MC on a monthly basis for guidance, support. • The footage of the CCTV would be under the vigilance of the Centre Administrator. • The Centre Administrators can design. their own feedback forms for the purpose of Social Audit.
02	Case Worker	01	• Any woman having a Bachelor in Law/ Social Work/Sociology/Social science/ Psychology with at least 3 years experience of working on women related relevant domains In a Government or Non- Government project/programme. • She should be a resident of the local community so that local human resource and expertise is utilised for effec tive functioning of the centre.	• Case Workers will work in shifts to provide 24 hour service at OSC. • She will provide assistance and support to the Centre Administrator in facilitating services to women accessing OSC. • She will intervene in cases of VAW and will take them to their logical conclusion. • She will be responsible for other work as assigned by the Centre Administrator.
03	Para Legal Personnel/ Lawar	01	• any person having a degree in Law/ with legal training or knowledge of laws with at least 3 years experience of working within a Government or NonGovernment women related project/ programme at the district level or to any practicing Lawyer with at least 2 years	• She/he will inform and orient the woman about her legal rights and help/guide the woman to initiate legal proceedings against the abuse/ violence suffered, if she is willing to do so. • She/he will coordinate/liaise with the Public Prosecutor or the SLSA/DLSA Lawyer, to

क्रमशः

			experience of litigation in any court of law.	support the woman even after her case has been filed in court as well as to ensure there is follow-up of the case to its logical conclusion. • She/he will simplify legal pr ocedures for the affected women and advocate for her exemption from court hearings. • She/he will facilitate speedy and hassle free police and court proceedings through the employment of video conferencing facility for the recording of statement of women affected by violence.
04	Paramedical Personnel	01	• any woman having professional degree/ diploma in paramedics with a background in health sector and preferably with at least 3 years' experience of working within a Government or Non -Government health pr oject/ programme at the district level.	• Para Medical Personnel will work in shifts to provide 24 hour service at OSC. • She will provide first aid and immediate lifesaving medical assistance to the aggrieved woman until she reaches the hospital. • She will accompany the woman affe cted by violence to the Hospital. In cases of women affected by sexual violence, she will ensure strict compliance of the protocols developed by MoHFW to conduct forensic examination and other tests by the Doctors. • She will help in drafting the medical case history of the women affected by violence.
05	Psychosocial Counsellor	01	• The service could be outsourced to any woman having professional degree /diploma in psychology/psychiatry/ neurosciences with a background in health sector and preferably with at least 3 years' experience of working within a Govemment or Non -Govemment health project/programme at the district level.	• She will provide psychological counselling and guidance to the woman affected by violence and support in referral services that may be deemed fit for the women affected by violence based on her needs. • She will h elp draft the case history of the women affected by violence.
06	Office Assistant with computer knowledge	01	• services could The be outsourced to any person who is a graduate with at least diploma in computers/ IT etc. with a minimum of 3 years' experience In data management, process documentation and web-based reporting formats, video conferencing at state or district level with government or Non-Governmental/ IT-based organizations.	• Office Assistant will work in shifts to provide 24 hour service at OSC. • Office Assistant would generate the Un ique ID of the women affected by violence through web based software. • She would document the case history as provided by the Centre Administrator, Counsellor, and Paramedic, Lawyer and Police Facilitation Officer and record proceedings. For case management as well as develop the web based data, help in video conferencing, data entry operations etc. • She would be responsible for keeping record of CCTV footage at OSC. • She would follow strict proceedings to maintain privacy with regard to data generated and will ensure that name and other details of aggrieved women remain confidential in each step of case history documentation. • She will assist the police facilitation officer/ counsellor/ Para Medical Personnel/Para Legal Personnel to document the case history. • She wo uld draft the monthly/quarterly report based on the MIS, web based data collection which would be approved at the level of the Centre Administrator for submission to the Management Committee.
07	Security Guard/Night Guard	03	• The services could be outsourced to any person who is Passed 8th from any recognized board having at least 2years' experience of working as security personnel in a government or reputed organization at the district/state level. She should preferably be retired military / para-military personnel.	• Security Guard/Night Guard will work in shifts to provide 24 hour service at OSC. • The Security Guard/ Night Guard would be responsible for the overall security of OSC. • She would be responsible for safety of all capital assets, furniture and equipment at OSC.

2. आयु सीमा

2.1 उपरोक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

2.2 आयु के सत्यापन / समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 8वीं, 10वीं, की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।

2.3 पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण-पत्र ही मान्य किए जायेंगे।

2.4 आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2.5 चयनित अभ्यर्थी को चयन किए जाने के पश्चात् 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी।

2.6 सखी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति का कार्य हैं, अतः चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तदसंबंधी प्रमाण-पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

2.7 सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीड़ितो की गोपनियता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हैं। चयनित अभ्यर्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय, पीड़ितो/प्रकरणों से संबंधित विषयवस्तु एवं डाटा की गोपनियता बनाए रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाए जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

2.8 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.9 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता हैं।

2.10 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी / स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित / सत्यापित होना चाहिए।

2.11 अनुभव के संबंध मे अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।

2.12 अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता हेतु आवेदक को अनुभव प्रमाण पत्र के साथ में उक्त कार्य का नियुक्ति आदेश पत्र, सैलरी स्लीप/बैंक स्टेटमेंट / गणना पत्रक संलग्न करना होगा।

2.13 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा।

2.14 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

2.15 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

2.16 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगें। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।

2.17 प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा हैं, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता हैं। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।

2.18 आवेदक अपनी अर्हता की जॉच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

2.19 उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए इंटरव्यू / कौशल तथा जिन पदों पर दोनो की आवश्यकता हो के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी।

2.20 आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथि तक स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही आवेदन के साथ स्वयं का पता का लिखा हुआ 10 रूपये का टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी संलग्न करें।

2.21 कौशल परीक्षा / इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

क्रमशः

2.22 योजना के अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

2.23 इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा।

2.24 इन सेवा प्रदाताओं को मातृत्व अवकाश सुविधा की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

2.25 उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने पर इन्हें वृद्धि अनुसार ही सेवा शुल्क दिया जावेगा।

3. नियुक्ति प्रकियाः-

3.1 सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत स्वीकृत सभी पदों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर होगे।

3.2 निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार किया जाएगा। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे-

3.3 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का WEIGHTAGE देते हुए अधिकतम 60 अंक ।

3.4 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अत्तिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगें, अधिकतम 10 अंक।

3.5 राज्य के महिला हेल्पलाईन या सखी वन स्टॉप सेंटर के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।

3.6 उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।

3.7 इन्टरव्यू / कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर दोनो रखा जाना है वहां दोनो में 10-10 अंक होगें। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा/बोली का ज्ञान होना आवश्यक हैं। इंटरव्यू के दौरान इस आधार पर भी मापदंड रखा जाएगा।

3.8 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट चयन सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

3.9 कंडिका 2.10 के आलोक में सखी वन स्टॉप सेंटर के अतिशेष सेवाप्रदाता, जिनकी सेवायें समाप्त की गयी हैं अथवा प्रक्रियाधीन हैं यदि उनके द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर के पदों हेतु आवेदन किया जाता है तो समायोजन के उद्देश्य से इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता, अनुभव के आधार पर इनके अनुभव का लाभ लेने के उद्देश्य से इनके आवेदन को प्राथमिकता दिया जावें।

3.10 समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक-2 के उप कंडिका 3.3, 3.4 एवं 3.5 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:5 इंटरव्यू / कौशल परीक्षा अथवा जिन पदों पर दोनों की आवश्यकता हो आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुसंशा सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी एवं जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।

3.11 दावा आपत्ति के समय पृथक से अन्य कोई नवीन दस्तावेज स्वीकार नही किया जाएगा, साथ ही आवेदन में किसी तरह से सुधार नही किया जाएगा। पूर्व प्रेषित आवेदन के साथ संलग्न किए प्रमाण पत्रों की पुष्टि में कोई दस्तावेज दावा आपत्ति में प्रस्तुत किया जाता है तो वह मान्य किया जा सकेगा।

4. नियुक्ति की अवधिः-

4.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में एकमुश्त सेवा शुल्क पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

4.2 चयनित सेवा प्रदाता की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती हैं। कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती हैं।

4.3 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत सेवा प्रदाताओं की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

4.4 चयन के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

टीपः- "सखी" वन स्टॉप सेंटर कबीरधाम में रिक्त सेवाप्रदाताओं की जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कबीरधाम छ०ग० से प्राप्त की जा सकती है तथा आवेदन प्रपत्र तथा सेवा के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, कार्यदायित्व एवं अन्य विवरण www.kawardha.gov.in वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला-कबीरधाम (छ०ग०)

// आवेदन पत्र //

स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो पर हस्ताक्षर जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए चस्पा करें।

प्रति,

जिला कार्यकम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम :------------------------
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :------------------------
   (अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) :------------------------
3. पिता/पति का नाम :------------------------
4. जन्मतिथि (अंको मे) :------------------------
5. दिनांक 01/01/2025 को आयु वर्ष---माह----दिन--------
6. लिंग (महिला/पुरुष) :------------------------
7. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./ ओबीसी) :------------------------
8. पता (पत्र व्यवहार हेतु) :------------------------
   :------------------------
   :------------------------
   मो.न.-------------------
   ई-मेल-------------------
9. स्थायी पता :-----------------------
   :-----------------------
   :-----------------------
   मो.न-------------------
   ई-मेल------------------
10. क्या आवेदक विवाहित है, यदि हां तो विवाह की तिथि :----------------------
    जीवित बच्चों की संख्या :----------------------
11. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर शासकीय संस्था में सेवारत है
    (तो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें) :----------------------

(शेष पृष्ठ 12 पर)

कार्यालय - जिला पंचायत सुकमा, जिला सुकमा (छ.ग.)

Email id: ceo.zp.sukma@gmail.com, Office Phone No.: 07864-284027

क्रमांक /2095 /स्था.शा./ पंचा. सचिव-भर्ती/2025-26 सुकमा, दिनांक 09/09/2025

संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़, सेक्टर 19, नार्थ ब्लॉक, विकास भवन, भू-तल, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. का पत्र क्रमांक / पंचा.-337/ सचिव स्था./2024/519 अटल नगर दिनांक 18.09. 2024 के माध्यम से जिला पंचायत सुकमा (छ.ग.) अंतर्गत ग्राम पंचायतों में रिक्त 02 ग्राम पंचायत सचिव (पंचायतकर्मी) के पद अनुसुचित जनजाति (मुक्त) हेतु वेतनमान रू. 3500-10000+ ग्रेड वेतन 1100 तथा 4000 विशेष भत्ता की अनुमति प्राप्त हुआ है। अतः उक्त पद की भर्ती हेतु सुकमा जिले के निवासियों से कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सुकमा (छ.ग.) में दिनांक 30.09.2025 तक समय सायं 5:30 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। स्पीड पोस्ट /पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नही होंगें। पदों का विवरण इस प्रकार हैः-

क्र	पद का नाम	वेतनमान	कुल पद	वर्गवार भरे पद की जानकारी														
				अनुसूचित जनजाति			अनुसूचित जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग			अनारक्षित			योग		
				मुक्त	महिला	कुल	मुक्त	महिला	कुल	मुक्त	महिला	कुल	मुक्त	महिला	कुल	मुक्त	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	पंचायत सचिव (पंचायत कर्मी)	वेतनमान रू. 3500-10000 + ग्रेड वेतन 1100	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
योगः-			2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2

टीप :- उपरोक्त पदों में कमी या बढोत्तरी का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी का होगा।

01. शैक्षणिक अर्हताएं :-

(01) ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेण्डरी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होगी।

(02) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा।

02. चयन प्रक्रियाः

प्रमाण पत्र आदि के आधार पर आवेदकों की वरीयता (मेरिट) का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :-

(A) हायर सेकेण्ड्री के अंकों का अधिभार - 50 प्रतिशत

(B) उच्चतर शैक्षणिक योग्यता अधिकतम - 10 अंक

(स्नातक-05 अंक/स्नातकोतर -05 अंक)

(C) कम्प्यूटर कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको का अधिभार- 25 प्रतिशत

(D) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा - 10 अंक

(E) रोजगार सहायक के पद पर कार्य करने का अनुभव, अधिभार - 05 अंक

(प्रत्येक वर्ष 01 अंक के मान से अधिकतम 05 वर्ष का अंक, एक वर्ष न्यूनतम 09 माह का कार्यानुभव)

टीप :- रोजगार सहायक के पद पर कार्य करने का अनुभव, केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा।

03. मूल निवासीः-

01. आवेदक को सुकमा जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।

04. आयु सीमा :-

01. न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष (आयु सीमा में अधिकतम छूट के साथ) होगी। आयु की गणना 01 जनवरी 2025 के आधार पर की जायेगी।

02. अभ्यर्थी को आयु सत्यापन हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र की सत्यापित अंकसूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

03. आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करें।

04. उम्मीदवार जिसनें ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

05. कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से दो जीवित संतान है, तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए योग्य/पात्र नहीं होगा।

05. आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश :-

01. आवेदन पत्र जिला पंचायत सुकमा (छ.ग.) द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

02. छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 के तहत् सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

03. आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न किया जाना आवश्यक है।

06. आवेदन पत्र जमा/कार्यालय को प्राप्ति की अंतिम तिथिः-

01. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट से, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला सुकमा (छ.ग.) के नाम से दिनांक 30.09.2025 को सायं 5:30 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई-मेल अर्थवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जावेंगे। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

02. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटीपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

03. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।

04. वांछित शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन जारी किए जाने की तिथि के पूर्व का होना अनिवार्य है।

07. परिवीक्षा अवधि-

01. पंचायतकर्मी के पद पर सीधी भर्ती से चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी ग्राम पंचायतों में तीन वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। पंचायतकर्मी के कार्य तथा उनके आचरण उपयुक्त पाये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा परिवीक्षा अवधि हटाया जा सकेगा। यदि पंचायतकर्मी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसकी सेवाएं नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जाएगी।

08. अन्य नियम एवं शर्ते :-

01. चयनित ग्राम पंचायत सचिव छ.ग. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 एवं छ.ग. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के अधीन शासित होंगें।

02. नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में किसी एक पक्ष द्वारा एक माह के पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देय कर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

क्रमशः

03. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत करना होगा।

04. आवेदक यदि पूर्व में किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय द्वारा सेवा से अवचार के कारण पदच्युत किया गया हो तो, वह अपात्र होगा।

05. शैक्षणिक योग्यता में अंकित "प्राथमिकता" का अभिप्रायः मेरिट सूची में सामान अंक आने पर प्राथमिकता का लाभ (जन्म तिथि के आधार पर) दिये जाने से होगा।

06. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को निर्धारित अर्हता के प्राप्तांकों में कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार की जायेगी।

07. नियुक्ति के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं बंधन कारी होगा।

08. प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने पर मान्य नहीं किया जावेगा। मूल आवेदन में संलग्न किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंक प्रदान किये जायेगें।

09. दावा आपत्ति में केवल लिपीकीय त्रुटी का ही सुधार किया जायेगा, जिसके संबंध में दावा आपत्ति स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से ही समय-सीमा के भीतर स्वीकार किया जावेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

10. आवेदक/आवेदिका के विरूद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में अनुसंधान /विचारण हेतु लंबित है, अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है, तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

11. यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्वदोष ठहराया गया हो, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वणित हो। अपात्र होगा।

12. यदि वह महिलाओ के विरूद्ध प्रताड़ना के किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो, अपात्र होगा।

13. आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप कार्यालय जिला पंचायत-सुकमा (छ.ग.), जनपद पंचायत सुकमा /कोन्टा/छिन्दगढ़ के सूचना पटल एवं जिले के वेबसाईट https://www.sukma.gov.in/ में अवलोकन किया जा सकता है।

14. संचालक, पंचायत संचालनालय, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार नियमों में परिवर्तन मान्य है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित।)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सुकमा (छ.ग.)

ग्राम पंचायत सचिव के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
(आवेदक के द्वारा स्वयं भरा जावे)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत सुकमा,
जिला - सुकमा (छ.ग.)

अभ्यर्थी स्व-प्रमाणित फोटो चस्पा करें

01. आवेदक का पूरा नाम (अ) हिन्दी में :------------------------
(ब) अंग्रेजी में ------------------------
02. पिता/पति का नाम ----------------------
03. लिंग (महिला/पुरुष/तृतीय लिंग) ----------------------
04. जन्म तिथि (अ) अंको में ----------------------
(ब) शब्दों में ----------------------
(स) दिनांक 01.01.2025 को आयु वर्ष----माह---- दिनांक----
(द) जन्म स्थान
05. वर्ग (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) ----------------------
06. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिन्दी में) ------------------------
07. स्थायी पता (हिन्दी में) ------------------------

----
08. मोबाईल नंबर ------------------------
09. ई-मेल आई.डी. ------------------------
10. आधार नंबर ------------------------
11. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (सत्यापित प्रति संलग्न करें) ------------------------
12. क्या अधिकतम आयु सीमा छूट चाहते हैं (हाँ/नहीं) ------------------------
यदि हाँ तो किसी श्रेणी से हैं उल्लेख करें
13. क्या आवेदक सुकमा जिले का मूल निवासी है (हॉ/नहीं) ----------------------
(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
14. क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जनजाति का सदस्य है? हां/नही (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी एवं छानबीन समिति द्वारा सत्यापित स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें। ------------------------
15. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
01	हाईस्कूल						
02	हायर सेकण्डरी						
03	स्नातक						
04	स्नातकोतर						
05	एम.बी.ए.						
06	पी.जी.डी.सी.ए./डी. सी.ए.						
07	ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा						
08	ग्रामीण विकास एवं विस्तार अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा						
09	अन्य						

16. रोजगार सहायक का अनुभवः-
(टीप :- कुल अनुभव अवधि का अनुभव सह वेतन पत्रक संलग्न किया जाना अनिवार्य है।)

क्र	जिला का नाम	जनपद का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कार्यावधि		
				दिनांक से	दिनांक तक	कुल कार्यावधि
01	2	3	4	5	6	7
01						
02						
03						
04						

17. क्या आवेदक विकलांग है (हां/नही) :------------------------
(यदि हां, तो विकलांग संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
18. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है (हां/नही):--------------------------
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
19. क्या आवेदक विवाहित है (हां/नही) :----------------------
यदि विवाहित है, तो विवाह की तिथि:----------------------
परिवार के संतान का विवरण:-

क्र.	नाम	पुत्र/पुत्री	जन्म दिनांक
1.			
2.			
3.			

20. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत है (हां/नही)-------------
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
अ. वर्तमान तथा पूर्व नौकरी का विवरण -------------------------
ब. यदि हो तो अनुभव का विवरण -------------------------

क्रमशः

(पिछले पृष्ठ का शेष)

21. यदि पंचायत एवं ग्रामीण विकास में कार्य करने का अनुभव रखते हों तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें। :--------------------------

22. क्या आवेदक/आवेदिका के विरूद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में अनुसंधान /विचारण हेतु लंबित है, अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है? हां तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक' एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

23. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूचीः-

1. अनुभव हेतु सैलेरी स्लिप/बैंक स्टेटमेंट (संपूर्ण अनुभव अवधि का अनिवार्य)--------

2.------------------ 3.------------------

4.------------------ 5.------------------

6.------------------ 7.------------------

आवेदक का हस्ताक्षर

(पूर्ण नाम एवं पता)

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारियां पूर्ण एवं सत्य है। चयन होने तथा भविष्य में किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर मेरी सेवाएं समाप्त कर मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करनें का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक :----------

स्थान :---------- -----------------

आवेदक का हस्ताक्षर

संलग्न :- (पूर्ण नाम एवं पता)

उपरोक्तानुसार वांछित/अनिवार्य प्रमाण पत्रों की सूची, जो कि अनिवार्यतः संलग्न किया जाना हैः-

- दसवीं की अंकसूची की छायाप्रति।
- बारहवीं की अंकसूची छायाप्रति।
- स्नातक की अंकसूची छायाप्रति।
- स्नातकोत्तर की अंकसूची छायाप्रति।
- शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा छायाप्रति।
- जाति प्रमाण पत्र छायाप्रति।
- निवास प्रमाण पत्र छायाप्रति।

  वांछित अनुभव प्रमाण पत्र सह सैलेरी स्लिप/बैंक स्टेटमेंट संपूर्ण अनुभव अवधि की छायाप्रतिः------वर्ष------- माह
- शासन स्तर पर जारी पहचान पत्र छायाप्रति।

आवेदक का हस्ताक्षर

(पूर्ण नाम एवं पता)

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

(खण्ड-3. द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर)

E-MAIL-COM-LABOUR.CG@GOV.IN, PHONE NO. 0771-2443515, FAX-0771-2443516

// शुद्धिपत्र की सूचना //

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा श्रम के क्षेत्र में उत्कृष्ट उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था को "स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार वर्ष 2025" हेतु विभिन्न समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के शब्दांश वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 को वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 पढ़ा जावे। जिसके लिए शुद्धिपत्र (Corrigendum) प्रकाशित किया जा रहा है।

(सविता मिश्रा)

आर.ओ.146 जी-252603603/3 अपर श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

(पृष्ठ 9 का शेष)

12 शैक्षणिक योग्यता:- (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रो की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करे)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड / संस्था का नाम	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

13. अनुभव प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र संलग्न करे)

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण (कब से कब तक)	कुल अनुभव वर्ष	रिमार्क

14. अन्य योग्यता का विवरण :----------------------

15. अनिवार्य संलग्नकों की सूची-

1. जन्म तिथि हेतु जन्म प्रमाणपत्र या कक्षा 8वीं, 10 वीं की अंकसूची / प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो।
2. 12 वीं की अंकसूची। (जहां लागू हो)
3. स्नातक की अंकसूची (जहां लागू हो)
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची (जहां लागू हो)
5. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र।
6. व्यवसायिक पाठ्यकम का प्रमाणपत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
7. छ.ग. का निवास प्रमाण पत्र
8. रोजगार कार्यालय का प्रमाण पत्र।
9. जाति प्रमाण पत्र।
10. पहचान पत्र /आधार कार्ड/ वोटर आईडी इत्यादि।
11. एक लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिखा डाक टिकट सहित।

10. अन्य संलग्नको का विवरण

1..

2..

5 ....

2 ....

4 ....

6..

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

:----------------------

-: घोषणा पत्र :-

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र मे दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त कर मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :---------

दिनांक :-------

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

आर.ओ.147/जी-252603538/4

कार्यालय कलेक्टर

महिला एवं बाल विकास विभाग, (जिला बाल संरक्षण इकाई) जिला सुकमा (छ०ग०)

Email:- dcpo-sukma@cg.gov.in टेलीफोन न. 07864-299101

क्रमांक/242/मबावि./मि.वा./2025-26 सुकमा, दिनांक 10/09/2025

"मिशन वात्सल्य के अंतर्गत चाईल्ड हेल्पलाईन यूनिट के तहत जिला सुकमा में केस वर्कर के रिक्त 01 पद हेतु संविदा भर्ती के संबंध में विज्ञापन"

महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित मिशन वात्सल्य योजना के तहत चाईल्ड हेल्पलाईन संचालन हेतु जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार जिला स्तर पर चाईल्ड हेल्पलाईन युनिट में केस वर्कर के पद पर एक मुश्त संविदा वेतन पर भर्ती के लिये पात्र आवेदकों से आवेदन पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से दिनांक **30/09/2025** सायं **05:00** बजे तक आमंत्रित हैं। जिला स्तरीय चाईल्ड हेल्पलाईन यूनिट में केसवर्कर के पद हेतु आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग सुकमा को प्रेषित करना होगा। पद की नियुक्ति एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है :-

1. जिला स्तरीय चाईल्ड हेल्पलाईन यूनिट सुकमा में रिक्त पद का विवरण :-

क्र.	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन राशि रूपयें में
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
1	केसवर्कर	0	1	0	0	1	16000/-

2. जिला स्तरीय चाईल्ड हेल्पलाईन यूनिट सुकमा में केसवर्कर के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य न्यूनतम अनुभव :-

क्र	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछिनीय योग्यता
1	केसवर्कर	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं पास हों।	अच्छा संचार दक्षता हो।	शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अधिमानतः (Preferbly) महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 01 वर्ष का कार्य अनुभव	• अनुभवी आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी। • आपातकालीन हेल्पलाईन के क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दिया जावेगा।

1. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के दस्तावेज आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।

2. **आयु सीमा:-**

2.1 सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी. किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2.2 सभी पदों पर अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्देश लागू होंगे।

2.3 आयु का प्रमाणन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज मान्य होंगे :-

2.3.1 जन्म प्रमाण-पत्र **या**

2.3.2 जिस पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 8 वीं है उनके लिए 8 वी की अंकसूची

2.3.3 जिस पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 8 वी कक्षा से अधिक है, उनके लिए 10 वीं की अंक सूची।

3. निवास अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

4. **पदों हेतु आरक्षण:-** संविदा नियुक्ति के लिए छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 एवं उसके अधीन जारी नियम/निर्देश लागू होंगे। आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।

6. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

टीप कंडिका 10 एवं 11 के सबंध में चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. अनुभव के संबंध में निर्देश निम्नानुसार हैः-

7.1 अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।

7.2 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

7.3 शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

टीप :- आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय अंतिम होगा।

8. प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदकों का ही अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट सूची तैयार करते हुए व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा (जहां लागू हो) के आधार पर चयन सूची तैयार किया जावेगा।

9. योजना के अंतर्गत नियुक्त संविदा कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगे।

10. नियुक्ति प्राधिकारीः- जिला स्तर पर चाईल्ड हेल्पलाईन यूनिट के पदों के लिए जिला कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी होंगे।

11. अंकीय प्रणालीः- निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थिया का प्रावीण्य सूची अंकीय प्रणाली के आधार पर तैयार किया जायेगा। मूल्यांकन हेतु की गणना निम्नानुसार होगी :-

11.1 अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत पर 60 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे।

11.2 निर्धारित न्यूनतम अनुभव पर कोई अंक देय नहीं होगा किंतु निर्धारित न्यूनतम अनुभव अवधि के पश्चात् प्रत्येक 01 वर्ष के अनुभव पर 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।

11.3 आपातकालीन हेल्पलाईन के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए, 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।

11.4 उपरोक्त में से प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

11.5 व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे।

11.6 अभ्यर्थियों के प्रावीण्य सूची में समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जावेगी। यदि उम्र भी समान हो तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।

12. उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 16 के उप कंडिका 11.1, 11.2 एवं 11.3 पर प्राप्त कुल अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। चयन हेतु प्रावीण्य सूची में 01 पद के लिए एक अनुपात दस (1:10) के अनुपात में व्यक्तिगत साक्षात्कार / कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा।

12.1 जिला स्तरीय चाईल्ड हेल्पलाईन युनिट में केस वर्कर के पद के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया जावेगा।

12.2 जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त अंकों के आधार पर समग्र प्रावीण्य सूची एवं प्रवर्गवार प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। प्रावीण्य सूची में अपने प्रवर्ग में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश संबंधित नियुक्ति

क्रमशः

प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

12.3 उक्त पद के लिये 25 प्रतिशत अथवा 03 जो भी अधिक हो, अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा। चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की वैधता, चयन सूची प्रकाशन तिथि से 01 वर्ष तक रहेगी।

13. नियुक्ति की अवधि :-

13.1 इन पदों पर प्रथम बार में अधिकतम 03 वर्ष या भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि, जो भी पहले हो, की अवधि हेतु नियुक्त किया जाएगा।

13.2 चाईल्ड हेल्पलाईन में कार्य की आवश्यकता होने पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर एक बार में संविदा सेवा अवधि अधिकतम 03 वर्ष के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) द्वारा संविदा अवधि वृद्धि करने का निर्णय लिया जा सकेगा। संविदा वृद्धि नहीं किये जाने की स्थिति में सेवा स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

13.3 चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बतायें भी सेवा समाप्त की जा सकती है।

13.4 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

13.5 नियुक्ति के पश्चात भी यदि नियुक्ति संबंधी अर्हताओं एवं शर्तों का पूरा करना नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

14. आवेदन के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है:-

14.1 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे एवं इस संबंध में अभ्यर्थियों को कोई सूचना नहीं दी जायेगी।

14.2 आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

14.3 आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए।

14.4 निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

15. चयन संबंधी विवाद की दशा में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा।

16. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाईट https://sukma.gov.in पर देखी जा सकती है।

17. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सही पता, ई-मेल आईडी व मोबाईल नं का उल्लेख कि जावे, ताकि चयनित अभ्यर्थियों को सूचना दी जा सके।

टीप :-

1. दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त वांछित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
2. व्यक्तिगत साक्षात्कार/कौशल परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

जिला म.बा. वि. अधिकारी
जिला-सुकमा (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो पर हस्ताक्षर जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा भाग आवेदन पत्र में होना चाहिए

प्रति

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला- सुकमा (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम ------------------------------
2. आवेदन का नाम (हिन्दी में) ------------------------------
   (अंग्रेजी में) ------------------------------
3. पिता/पति का नाम ------------------------------
4. स्थायी पता
5. (पत्र व्यवहार का पता) ---------दूरभाष/मोबाईल-----------
6. जन्मतिथि (अंको में)
   शब्दों में ------------------------------
7. दिनांक 01/01/2025 को आयु ------------------------------
8. लिंग पुरूष/महिला ------------------------------
9. जाति/वर्ग (अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) जाति.---------वर्ग----------
10. क्या आवेदन शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है?------------------
11. विवाहित/अविवाहित / विधुर/परित्यक्तता :----------------
12. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि-----------एवं जीवित बच्चों की संख्या----
13 शैक्षणिक योग्यताः-
(जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/वि.वि./संस्था का नाम	पूर्णाक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी

14. अन्य योग्यता का विवरण :---------------------------
15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :---------------------------

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण		वेतन	पद छोड़ने का कारण
		कब से	कब तक		

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते है।

16. अनिवार्य संलग्नकों की सूचीः-
1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
2. जन्म तिथि हेतु 10वीं की अंकसूची/प्रमाण
3. 12वीं की अंकसूची
4. स्नातक की अंकसूची ( )
5. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
6. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
7. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र

17. अन्य संलग्नकों का विवरण
1----------2----------3------------4----------
5----------6----------7------------8----------

आवेदक का हस्ताक्षर---------
आवेदक का नाम-----------

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते है, तो मेरी उम्मीदवारी / नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरूध्द वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थानः-------------
दिनांकः------------

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास शाखा) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियमों के प्रभावी एवं सुचारू क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर तथा चिन्हित अनुभाग स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ में क्रमशः जिला स्तरीय समन्वयक (समन्वयक-वन अधिकार अधिनियम) एवं एमआईएस सहायक (सहायक-वन अधिकार अधिनियम) की नियुक्ति किया जाना है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	पद का नाम	मानदेय	पद की संख्या	निर्धारित अवधि	स्तर	रिमार्क
1	जिला स्तरीय समन्वयक (समन्वयक- वन अधिकार अधिनियम)	30,000/-	01	01 वर्ष	जिला स्तर	जिला स्तरीय समिति स्तर पर
2	एमआईएस सहायक (सहायक-वन अधिकार अधिनियम)	20,000/-	02	01 वर्ष	अनुभाग स्तर पर (लैलुंगा एवं धरमजयगढ़)	उपखण्ड स्तरीय समिति स्तर पर

पद की शर्तें:-

1. यह पद अशासकीय एवं पूर्णतः अस्थायी होंगे तथा निर्धारित एवं नियत की गई अवधि के अंतर्गत सीमित होंगे।
2. यह पद पूर्णतः अस्थानांतरणीय (Non Transferable) होंगे।
3. धरती आबा-जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु वन अधिकार प्रकोष्ठ के गठन हेतु प्राप्त बजट अनुसार प्रथमतः 01 वर्ष तक सीमित होगी एवं द्वितीय वर्ष हेतु बजट प्राप्ति की दशा में द्वितीय वर्ष तक पदावधि का विस्तार होगा।

पात्रता की शर्तें:-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो। कम्प्यूटर का ज्ञान होना चाहिये, जिसमें एमएस ऑफिस इत्यादि सम्मिलित है।
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कियान्वयन का (समन्वयक-वन अधिकार अधिनियम के लिए न्यूनतम 03 वर्ष एवं सहायक वन अधिकार अधिनियम के लिए न्यूनतम 02 वर्ष) मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हो जैसे जिले में जिला स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ तथा उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ में कार्यरत रहे जिला परियोजना समन्वयक तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ता को वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित कार्य कुशलता एवं प्रदर्शन के आधार पर अनुभव का weightage दिया जा सकता है। इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी शासकीय अथवा FRA क्रियान्वयन के क्षेत्र में पंजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा ।
2. अधिकतम आयु 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
3. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिये, इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। जनजातीय पंरपराओं, रीतिरिवाजों, संस्कृति की सामान्य जानकारी होनी चाहिये।

4. आवेदन की प्रक्रिया तथा निर्धारित तिथि :-

(i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर तथा आवश्यक दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायगढ़ के कार्यालय में रजिस्ट्रर डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करेंगे।

(ii) आवेदन पत्र के परीक्षण उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्र के आधार पर पात्रता रखने वाले आवेदकों को संबंधित जिला मुख्यालय में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा। आवेदक को साक्षात्कार हेतु आने जाने का व्यय स्वयं वहन करना होगा।

(iii) साक्षात्कार के समय शैक्षणिक तथा अनुभव संबंधी मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। साक्षात्कार के लिये निर्धारित तिथि से दूरभाष / ईमेल माध्यम से अवगत कराया जावेगा।

(iv) साक्षात्कार हेतु जिला कलेक्टर/अध्यक्ष, डीएलसी द्वारा जिला स्तर पर समिति का गठन किया जायेगा। निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार समिति द्वारा प्रत्येक पात्र आवेदक का साक्षात्कार लिया जायेगा। साक्षात्कार समिति में मुख्यालय से विषय विशेषज्ञों एवं अन्य को आमंत्रित किया जा सकता है।

(v) 50 प्रतिशत अंक साक्षात्कार पर तथा 50 प्रतिशत अंक स्नातक परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर दिया जाकर मेरिट सूची तैयार कर सफल / चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना की जायेगी। सफल अभ्यर्थियों को 02 सप्ताह में कार्यस्थल पर कार्य पर उपस्थिति देनी होगी अन्यथा कार्य पर उपस्थित न होने की दशा में प्रतीक्षा सूची से अन्य अभ्यर्थी को अवसर दिया जायेगा, इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय अंतिम होगा।

(vi) पदस्थापना जिला स्तर पर सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) द्वारा की जायेगी, इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

पद के कर्तव्य

जिला स्तरीय समन्वयक (समन्वयक वन अधिकार अधिनियम) (जिला स्तर)

1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन अंतर्गत सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में एफआरए शाखा में पदस्थ शाखा प्रभारी को वन अधिकार अधिनियम से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा- एफआरए एमपीआर, क्यूपीआर एवं समय-समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियों के संग्रहण एवं विश्लेषण में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
2. वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सभी समितियों/ग्रामसभा के सदस्यों / मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन अंतर्गत अधिनियम की धारा 3(1) एवं 3(2) में उल्लेखित अधिकारों से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा दावा पश्च कार्य जैसे सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के सुसंगत योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से आजीविका संवर्धन प्रदान करना। प्रशिक्षण पश्चात वन अधिकार समितियों के सदस्य / मैदानी कर्मचारियों को वन अधिकार दावा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध तरीके से सामंजस्य स्थापित करना।
3. वन अधिकारों की मान्यता एवं सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति (DLC) एवं जिला स्तरीय निगरानी समिति (DLMC) के गठन/पुनर्गठन, बैठक एवं समिति द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशानुसार कार्यवाही किए जाने में आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
4. वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण, दस्तावेजों के संबंधित विभागों के अभिलेखों में अद्यतनीकरण, फौती, नामांतरण आदि कार्यों में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
5. विभाग द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
6. मैदानी क्षेत्र भ्रमण कर क्रियान्वयन संबंधित समस्याओं का आंकलन कर निराकरण हेतु संबंधित समितियों, विभागों एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित करना।
7. राज्य स्तर एवं अनुभाग स्तर पर एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित कर क्रियान्वयन को बेहतर करना।
8. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करना।
9. विभाग द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले मैदानी क्षेत्र के निरीक्षण, अध्ययन एवं तकनीकी सहयोग संबंधी भ्रमण के दौरान आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्रदान करना।
10. अधिनियम के व्यावहारिक जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न माध्यम से जैसे जागरूकता शिविर, कार्यशाला एवं परामर्शदात्री बैठकों इत्यादि में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
11. जिला स्तर पर वन अधिकार पर काम कर रहे गैर सरकारी संस्थाओ से वन अधिकार दावा व प्रबंधन प्रक्रिया में गति हेतु आवश्यक संवाद स्थापित करना।
12. एमआईएस सहायक (सहायक-वन अधिकार अधिनियम) के साथ सामंजस्यपूर्ण कार्य करना एवं वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक मागदर्शन प्रदान करना।
13. विभाग / विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
14. संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को रिपोर्टिंग करना।
15. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन आनुषांगिक कार्य ही करना।
16. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के समय वनों से संबंधित अन्य विधियों तथा नीतियों संबंधित आवश्यक कार्यवाही को राज्य स्तर से मागदर्शन प्राप्त कर कार्यवाही करना।
17. अनुभाग स्तर पर एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना।

एमआईएस सहायक (सहायक-वन अधिकार अधिनियम)-(उपखण्ड स्तर)

1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन अंतर्गत अनुभाग / उपखण्ड में पदस्थ वन अधिकार शाखा प्रभारी को वन अधिकार अधिनियम से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा-एफआरए एमपीआर, क्यूपीआर एवं समय-समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियों के संग्रहण एवं विश्लेषण में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।

क्रमशः

(पिछले पृष्ठ का शेष)

2. वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सभी समितियों/ ग्रामसभा के सदस्यों/मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन अंतर्गत अधिनियम की धारा 3 (1) एवं 3(2) में उल्लेखित अधिकारों से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा दावा पश्च कार्य जैसे सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के सुसंगत योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से आजीविका संवर्धन प्रदान करना। प्रशिक्षण पश्चात वन अधिकार समितियों के सदस्य/मैदानी कर्मचारियों को वन अधिकार दावा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध तरीके से सामंजस्य स्थापित करना।
3. वन अधिकारों की मान्यता एवं सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति के गठन/पुनर्गठन, बैठक एवं समिति द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशानुसार कार्यवाही किए जाने में आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
4. वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण, दस्तावेजों के संबंधित विभागों के अभिलेखों में अद्यतनीकरण, फौत्ती, नामांतरण आदि कार्यों में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
5. विभाग द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
6. मैदानी क्षेत्र भ्रमण कर क्रियान्वयन संबंधित समस्याओं का आंकलन कर निराकरण हेतु संबंधित समितियों, विभागों एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित करना।
7. जिला स्तर एवं ग्रामसभा तथा मैदानी स्तर के कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित कर क्रियान्वयन को बेहतर करना।
8. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच उपखण्ड/अनुभाग एवं मैदानी स्तर पर समन्वय स्थापित करना।
9. विभाग द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले मैदानी क्षेत्र के निरीक्षण, अध्ययन एवं तकनीकी सहयोग संबंधी भ्रमण के दौरान आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्रदान करना।
10. अधिनियम के व्यावहारिक जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न माध्यम से जैसे जागरूकता शिविर, कार्यशाला एवं परामर्शदात्री बैठकों इत्यादि में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
11. मैदानी स्तर पर वन अधिकार पर काम कर रहे गैर सरकारी संस्थाओ से वन अधिकार दावा व प्रबंधन प्रक्रिया में गति हेतु आवश्यक संवाद स्थापित करना।
12. जिला परियोजना समन्वयक के साथ सामंजस्यपूर्ण कार्य करना एवं वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
13. विभाग / विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
14. पदेन सचिव, उपखण्ड स्तरीय समिति को रिपोर्टिंग करना।
15. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन आनुषांगिक कार्य ही करना।
16. वन अधिकार समितियों के सदस्य/मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना एवं समस्याओं का निराकरण में सहयोग करना।

17 आवेदन की अंतिम तिथियां :-

क्र.	विवरण	आवेदन करने की अंतिम तिथि
1	आवेदन करने की अंतिम तिथि	06 अक्टूबर 2025

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास रायगढ़ (छ.ग.)

आवेदन पंजीकरण क्रमांक----------------------
(कार्यालयीन उपयोग के लिये)

आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र
वर्ष 2025-26

1. आवेदक का नामः
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि (DD/MM/YYYY):
4. आवेदक की श्रेणी :
(सामान्य/अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व.)
5. मूल निवासी :
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. निवास का पता ई-मेल सहित : (फोन/मोबाईल नंबर)
7. शैक्षणिक योग्यताः (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र	बोर्ड परीक्षा का नाम	शामिल होने का वर्ष	परीक्षा परिणाम	प्रतिशत
1	हाईस्कूल			
2	हायर सेकेण्डरी			
3	स्नातक			
4	अन्य			

8. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का अनुभव की कुल अवधिः
(अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र	शासकीय/अशासकीय संस्था का नाम	कार्य अवधि		कार्य की प्रकृति विवरण देवें
		कब से	कब तक	

घोषणा पत्र

मैं------------ घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी सही है। दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर मेरा आवेदन/नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

दिनांक-----------
स्थान------------ हस्ताक्षर---------
नाम-------------

भारत सरकार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन रक्षा मंत्रालय
एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग एस एफ कॉम्प्लेक्स, जगदलपुर-494001 (छत्तीसगढ़)

विज्ञापन सं. : एसएफसी/एचआरडी/जेआरएफ/चयन/03/2025 **दिनांकः 05/08/2025**

निम्नलिखित फेलोशिप प्रारंभ में दो वर्ष की अवधि (नियमानुसार विस्तार योग्य) के लिए, 37,000/- रुपये की मासिक फेलोशिप पर उपलब्ध हैं (नियमानुसार आवास किराया भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं स्वीकार्य होंगी). निम्नलिखित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित हैं.

क्र. सं.	फेलोशिप का प्रकार	फेलोशिप की सं.	विषय/क्षेत्र	शैक्षिक योग्यता
01	जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ)	01	रसायन विज्ञान	सीएसआईआर-यूजीसी नेट/गेट के साथ प्रथम श्रेणी में व्यावसायिक पाठ्यक्रम (एम.एससी) में स्नातक की डिग्री.
02	जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ)	01	केमिकल इंजीनियरिंग	व्यावसायिक पाठ्यक्रम (बी.ई./बी.टेक.) में स्नातक डिग्री, नेट/गेट के साथ प्रथम श्रेणी में अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम (एम.ई./एम.टेक.) में स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर प्रथम श्रेणी में.
03	जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ)	01	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	व्यावसायिक पाठ्यक्रम (बी.ई./बी.टेक.) में स्नातक डिग्री, नेट/गेट के साथ प्रथम श्रेणी में अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम (एम.ई./एम.टेक.) में स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर प्रथम श्रेणी में.

ऊपरी आयु सीमाः आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जेआरएफ के लिए 28 वर्ष. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को भारत सरकार के आदेशानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

सभी प्रकार से भरा हुआ, साफ-सुथरा टाइप किया हुआ/लिखित आवेदन, पूरे बायोडाटा के साथ, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से **11 दिनों के भीतर महाप्रबंधक, एसएफ कॉम्प्लेक्स, जगदलपुर-494001 (छत्तीसगढ़)** के पते पर पहुंचना सुनिश्चित करें. आवेदन के पहले पृष्ठ के ऊपरीकोने पर पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटोग्राफ चिपकाएं. कृपया आवेदन के साथ महाप्रबंधक, एसएफ कॉम्प्लेक्स, जगदलपुर के पक्ष में 10/- रुपये का क्रॉस किया हुआ भारतीय पोस्टल ऑर्डर भेजें. (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को इस भुगतान से छूट प्राप्त है). सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों को समुचित माध्यम से आवेदन करना चाहिए.

उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय मूल प्रमाणपत्र/प्रशंसा पत्र प्रस्तुत करने होंगे. कृपया ध्यान दें कि फेलोशिप की पेशकश से फेलो को डीआरडीओ में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं मिलता.

आवेदन प्रपत्र

विज्ञापन सं. और दिनांक

पासपोर्ट आकार का हाल का फोटो चिपकाएं (3.5 सेमी x 4.5 सेमी)

1. आवेदित पदः
2. नाम (पूरा नाम):
3. पिता का नामः
4. जन्म तिथिः
5. पत्राचार का पताः
6. स्थायी पताः
7. मोबाइल नं.:
8. ईमेल आईडीः
9. क्या आप अजा/अजजा/अपिव हैं:
10. शैक्षणिक योग्यता (10वीं कक्षा से)

योग्यता	संस्थान/विश्वविद्यालय	उत्तीर्णता का वर्ष	विषय	प्रतिशत अंक

11. अनुभव (उसकी प्रति संलग्न करें)

पद धारण	नियोक्ता का नाम	तिथि से	तिथि तक	कार्य की प्रकृति	वेतन

12. कोई अन्य विवरण

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दिए गए विवरण सही हैं.

दिनांक : .... **हस्ताक्षर**

ऊपर दी गई योग्यताएं इन पदों के लिए न्यूनतम आवश्यकता हैं. इन योग्यताओं वाले सभी आवेदकों को साक्षात्कार के लिए नहीं भी बुलाया जा सकता है. यदि उनकी संख्या अधिक है, तो उपरोक्त विषय में लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती है. केवल योग्यता के आधार पर सूचीबद्ध उम्मीदवारों को ही लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और अन्य उम्मीदवार यह मान सकते हैं कि उन्हें योग्यता के आधार पर सूचीबद्ध नहीं किया गया है. अपूर्ण आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं. कृपया लिफाफे पर आवेदित पद का नाम लिखते हुए विज्ञापन सं. का उल्लेख करें.

(मानव संसाधन प्रमुख)
कृते महाप्रबंधक

दक्षिण रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ

सं. 5, डॉ.पी.वी. चेरियन क्रिसेंट सलाई, (एथिराज कॉलेज के पीछे)

एगमोर, चेन्नई -600 008 www.rrcmas.in

रोजगार सूचना सं RRC-02/Sport/2025-26 दिनांक 13/09/2025

वर्ष 2025-26 के लिए खेलकूद कोटा के अंतर्गत खिलाड़ियों की भर्ती हेतु अधिसूचना (खुला विज्ञापन)

दक्षिण रेलवे में वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय नागरिकों से पात्र खिलाड़ियों से खुली विज्ञापन योजना के अनुसार खेलकूद कोटा के अंतर्गत सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स लेवल-1 से वेतन मैट्रिक्स लेवल-5 तक के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

महत्वपूर्ण

आवेदन प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय	**13.09.2025 प्रातः 09:00 बजे**
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	**12.10.2025 रात्रि 23:59 बजे**

1.1 कृपया इस अधिसूचना में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आप आवेदन करने के पात्र हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के विस्तृत निर्देश **www.rrcmas.in** पर उपलब्ध हैं।

1.2 उम्मीदवारों को नियमित अपडेट के लिए वेबसाइट को नियमित रूप से देखने की सलाह दी जाती है। उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे सर्वर पर अत्यधिक लोड के कारण आवेदन जमा करने में किसी भी विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें।

1.3 यदि उम्मीदवार के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी ई-मेल आईडी बनानी चाहिए और भर्ती प्रक्रिया के अंत तक उसी ई-मेल आईडी और मोबाइल संख्या को सक्रिय रखना चाहिए। चयन प्रक्रिया पूरी होने तक उम्मीदवारों को अपना मोबाइल संख्या और ईमेल आईडी नहीं बदलना चाहिए। यदि बीच में मोबाइल संख्या और ईमेल आईडी बदली जाती है, तो प्रशासन सूचना प्राप्त न होने के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी अनुरोध पर प्रशासन द्वारा किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

क) लेवल-4 / 5 के पदों पर भर्ती के लिए:

लेवल - 4 / 5		
खेल अनुशासन	**इवेंट / स्थान / श्रेणी**	**पदों की संख्या**
एथलेटिक्स (महिला)	ट्रिपल जंप / 400 मीटर	1
मुक्केबाजी (महिला)	48-51 किग्रा / 57-60 किग्रा	1
क्रिकेट (पुरुष)	तेज़ गेंदबाज़	1
टेनिस (पुरुष)	एकल	2
	कुल	**5**

नोटः यदि उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण किसी विशेष खेल अनुशासन के लेवल 4/5 में रिक्तियां नहीं भरी जाती हैं, तो ऐसी रिक्तियां उसी अनुशासन से लेवल 2 / 3 में भरी जाएंगी।

ख) लेवल-2 / 3 के पदों पर भर्ती के लिए।

लेवल - 2 / 3		
खेल अनुशासन	**इवेंट / स्थान / श्रेणी**	**पदों की संख्या**
एथलेटिक्स (पुरुष)	200 मीटर, 400 मीटर बाधा दौड़, 800 मीटर, ऊँची कूद, हैमर थ्रो	2
एथलेटिक्स (महिला)	100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर, हेप्टाथलॉन	2
बास्केटबॉल (पुरुष)	सेंटर	1
बास्केटबॉल (महिला)	1-पॉइंट गार्ड, 3-फॉरवर्ड	4
मुक्केबाजी (पुरुष)	47-50 किग्रा, 90 किग्रा से ऊपर	1
क्रिकेट (पुरुष)	सलामी बल्लेबाज	2
क्रिकेट (महिला)	लेफ्ट आर्म स्पिनर	1
गोल्फ(पुरुष)		1
तैराकी (पुरुष)	50 मीटर /100 मीटर/200 मीटर-बटरफ्लाई स्ट्रोक	1
टेनिस (पुरुष)	एकल / युगल	1
	कुल	**16**

ग) लेवल-1 के पदों पर भर्ती के लिए

लेवल-1		
खेल अनुशासन	**इवेंट / स्थान / श्रेणी**	**पदों की संख्या**
एथलेटिक्स (पुरुष)	400 मीटर बाधा दौड़, 1500 मीटर, 5000 मीटर, 10000 मीटर, 3000 मीटर स्टीपल चेज़, भाला फेंक, गोला फेंक, डिस्कस थ्रो	5
एथलेटिक्स (महिला)	100 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर, 10000 मीटर, 3000 मीटर स्टीपल चेज़, ट्रिपल जंप, ऊंची कूद, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, गोला फेंक, भाला फेंक	5
बास्केटबॉल (पुरुष)	2-फॉरवर्ड, 1-पॉइंट गार्ड	3
मुक्केबाजी (पुरुष)	60-65 किग्रा, 70-75 किग्रा, 75-80 किग्रा, 80-85 किग्रा, 90 किग्रा से अधिक	4
मुक्केबाजी (महिला)	45-48 किग्रा, 48-51 किग्रा, 51-54 किग्रा, 54-57 किग्रा, 57-60 किग्रा, 60-65 किग्रा, 70-75 किग्रा, 75-80 किग्रा	5
क्रिकेट (पुरुष)	2-तेज गेंदबाज, 1- लेग स्पिनर गेंदबाजी ऑलराउंडर	3
क्रिकेट (महिला)	सलामी बल्लेबाज	1
फुटबॉल (पुरुष)	2-फॉरवर्ड, 2-मिडफील्डर, 1-डिफेंडर	5
गोल्फ (पुरुष)	-	1
हॉकी (पुरुष)	3-फॉरवर्ड, 3-डिफेंडर	6
तैराकी (पुरुष)	1-(50 मीटर / 100 मीटर / 200 मीटर - बैकस्ट्रोक) 1-(50 मीटर / 100 मीटर / 200 मीटर - ब्रेस्ट स्ट्रोक)	2
भारोत्तोलन (पुरुष)	89 किग्रा, 96 किग्रा, 109 किग्रा	2
भारोत्तोलन (महिला)	49 किग्रा, 59 किग्रा, 64 किग्रा, 71 किग्रा, 76 किग्रा, 87 किग्रा, 87 किग्रा से अधिक	4
	कुल	**46**

नोटः (i) कोई भी पद विशेष रूप से किसी भी समुदाय जैसे ओबीसी, एससी और एसटी आदि के लिए आरक्षित नहीं है।

(ii) उम्मीदवारों के आवेदन केवल ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए।

(iii) एक से अधिक खेल / प्रतियोगिताओं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को प्रत्येक खेल / प्रतियोगिता के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा।

(iv) खेल प्रतियोगिताओं के लिए / विभिन्न वेतन लेवलों वाले पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को प्रत्येक वेतन लेवल वाले पदों के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा।

(v) जहाँ भी लागू हो, किसी खेल / प्रतियोगिता में किसी विशेष पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में, उस पद को खेल / प्रतियोगिता के किसी अन्य पद के लिए उपयुक्त पाए गए उम्मीदवारों से नहीं भरा जाएगा।

d) ट्रायल की तिथिः उपरोक्त पदों पर भर्ती के लिए ट्रायल की तिथि, स्थान और समय का विवरण रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, चेन्नई, दक्षिण रेलवे की वेबसाइट **www.rrcmas.in** पर प्रदर्शित किया जाएगा।

2. पात्रता की शर्तेः

क) आयु सीमाः उम्मीदवारों की आयु 01.01.2026 को 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i)	**जन्मतिथि**	**02.01.2001 और 01.01.2008 के बीच (दोनों तिथियां सम्मिलित)**
ii)	**आयु में कोई छूट (अधिक या कम) नहीं दी जाएगी।**	
iii)	**आयु गणना की तिथि 1 जनवरी 2026 होगी।**	

नोट 1: उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आवेदन के साथ जमा की गई 10वीं कक्षा / मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र या 12वीं कक्षा / एचएससी या समकक्ष में दर्ज जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी।

नोट 2: उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि, एक बार उनके द्वारा जन्मतिथि का दावा कर दिए जाने और प्रशासन के अभिलेखों में दर्ज हो जाने के बाद, किसी भी आधार पर उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

3.0 पद और शैक्षिक योग्यताः

3.1 पदों का वेतनवार वितरण नीचे दिया गया है:

पद विवरण	
7वें वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स में लेवल	**पदों की संख्या**
लेवल 4 और 5	5
लेवल 2 और 3	16
लेवल 1	46
कुल	**67**

वेतन विवरण	
7वें वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स में लेवल	**प्रारंभिक वेतन रु. में**
लेवल - 1	रु. 18,000 / -
लेवल - 2	रु. 19,900 / -
लेवल - 3	रु. 21,700 / -
लेवल - 4	रु. 25,500 / -
लेवल - 5	रु. 29,200 / -

3.2 खिलाड़ी के पास उस पद के लिए लागू न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए जिस पर उसे नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नियुक्त किया जाना है।

* रेलवे में भर्ती के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता

(i) 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लेवल 1 के पदों के लिए - 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई या समकक्ष या एनसीवीटी द्वारा अनुमोदित एनएसी

(ii) 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लेवल 2 / 3 के पदों के लिए - 12वीं (+2 चरण) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण या तकनीकी श्रेणियों के लिए मैट्रिकुलेशन और एक्ट अप्रेंटिसशिप पाठ्यक्रम पूरा किया हुआ उत्तीर्ण या तकनीकी श्रेणियों के लिए मैट्रिकुलेशन और एनसीवीटी / एससीवीटी द्वारा अनुमोदित आईटीआई उत्तीर्ण।

(iii) सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लेवल 4 / 5 के पदों के लिए - स्नातक

नोटः यदि किसी व्यक्ति को क्लर्क-सह-टाइपिस्ट की श्रेणी में नियुक्त किया जाता है, तो उसे नियुक्ति की तिथि से 4 वर्ष की अवधि के भीतर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग दक्षता हासिल करनी होगी और तब तक इस श्रेणी में उनकी नियुक्ति अनंतिम रहेगी।

3.3 वेतन मैट्रिक्स में विशिष्ट लेवल और तैनाती का स्थान दक्षिण रेलवे प्रशासन द्वारा चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देते समय निम्नलिखित के आधार पर तय किया जाएगा।

(क) पदों की उपलब्धता

(ख) शैक्षिक योग्यताएँ

(ग) खेल उपलब्धियाँ और

(घ) भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त न्यूनतम अर्हक अंक।

3.4 जो उम्मीदवार अंतिम परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं या अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

3.5 न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में कोई छूट स्वीकार्य नहीं होगी। शैक्षिक योग्यता किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए।

4. खेल उपलब्धियों की गणना की अवधिः

इस अधिसूचना के अंतर्गत भर्ती के लिए, मान्यता प्राप्त खेल उपलब्धियाँ वर्तमान और / या तत्काल पिछले दो वित्तीय वर्षों की होनी चाहिए और खिलाड़ी सक्रिय खिलाड़ी होना चाहिए। अर्थात्, जिन खेल उपलब्धियों पर विचार किया जा रहा है, वे अधिसूचना की तिथि से 01.04.2023 या उसके बाद की होनी चाहिए। खेल उपलब्धियों की वैधता के लिए, चैंपियनशिप के समापन दिवस को ध्यान में रखा जाएगा। खेलों में आगे की उपलब्धि का मूल्यांकन ट्रायल के दौरान उसके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

5. पूरे किए जाने वाले खेल मानदंडः

5.1 अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप का वर्गीकरणः भर्ती के उद्देश्य से, अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप / प्रतियोगिताओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

श्रेणी - बी	विश्व कप (जूनियर / युवा / सीनियर वर्ग) विश्व चैंपियनशिप (जूनियर / सीनियर वर्ग) एशियाई खेल (सीनियर वर्ग) राष्ट्रमंडल खेल (सीनियर वर्ग) युवा ओलंपिक चैंपियंस ट्रॉफी (हॉकी) डेविस कप (टेनिस)
श्रेणी - सी	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप (जूनियर / सीनियर वर्ग) एशियाई चैंपियनशिप / एशिया कप (जूनियर / सीनियर वर्ग) दक्षिण एशियाई महासंघ (एसएएफ) खेल (सीनियर वर्ग) यूएसआईसी (विश्व रेलवे) चैंपियनशिप (सीनियर वर्ग) विश्व विश्वविद्यालय खेल

क्रमशः

5.2 खिलाड़ियों की भर्ती के लिए न्यूनतम मानदंड:

लेवल-1 से लेवल-5 तक में खिलाड़ियों की भर्ती के लिए न्यूनतम खेल मानदंड 7वें वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स व्यक्तिगत स्पर्धाओं और टीम खेलों दोनों के लिए निम्नानुसार होगा: (नोट: इन प्रावधानों को इस अनुच्छेद के नीचे दिए गए नोटों के साथ पढ़ा जाएगा)

क्र.सं.	7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में लेवल	भर्ती के लिए न्यूनतम खेल मानदंड
1	लेवल-4 या 5	विश्व कप (जूनियर / युवा / सीनियर वर्ग) / विश्व चैंपियनशिप (जूनियर / सीनियर वर्ग) / एशियाई खेल (सीनियर वर्ग) / राष्ट्रमंडल खेल (सीनियर वर्ग) / युवा ओलंपिक / चैंपियंस ट्रॉफी (हॉकी), डेविस कप (टेनिस) (श्रेणी-'बी') में कम से कम तीसरा स्थान।
2	लेवल-2 या 3	विश्व कप (जूनियर / युवा / सीनियर वर्ग) / विश्व चैंपियनशिप (जूनियर / सीनियर वर्ग) / एशियाई खेल (सीनियर वर्ग) / राष्ट्रमंडल खेल (सीनियर वर्ग) / युवा ओलंपिक / चैंपियंस ट्रॉफी (हॉकी), डेविस कप (टेनिस) (श्रेणी-'बी') में देश का प्रतिनिधित्व किया हो। **(या)** राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप (जूनियर / सीनियर) / एशियाई चैम्पियनशिप (जूनियर / सीनियर) / एशिया कप (जूनियर / सीनियर) / दक्षिण एशियाई महासंघ खेल (सीनियर) / यूएसआईसी (विश्व रेलवे) चैम्पियनशिप (सीनियर) / विश्व विश्वविद्यालय खेल (श्रेणी-सी) में कम से कम तीसरा स्थान। **(या)** सीनियर / युवा / जूनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में कम से कम तीसरा स्थान। **(या)** भारतीय ओलंपिक संघ के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में कम से कम तीसरा स्थान। **(या)** भारतीय विश्वविद्यालय संघ के तत्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय चैंपियनशिप में कम से कम तीसरा स्थान। **(या)** फेडरेशन कप चैंपियनशिप (सीनियर वर्ग) में प्रथम स्थान।
3	लेवल-1	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप (जूनियर / सीनियर) / एशियाई चैंपियनशिप (जूनियर / सीनियर) / एशिया कप (जूनियर / सीनियर) / दक्षिण एशियाई फेडरेशन गेम्स (सीनियर) / यूएसआईसी (विश्व रेलवे) चैंपियनशिप (सीनियर) / विश्व विश्वविद्यालय गेम्स (श्रेणी - 'सी') में देश का प्रतिनिधित्व किया हो। **(या)** फेडरेशन कप चैंपियनशिप (सीनियर वर्ग) में कम से कम तीसरा स्थान। **(या)** मैराथन और क्रॉस कंट्री को छोड़कर, किसी राज्य या समकक्ष इकाई का प्रतिनिधित्व किया हो, और केवल सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कम से कम 8वां स्थान प्राप्त किया हो। **उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित खेल मानदंडों वाले उम्मीदवार भी आवेदन करने के पात्र हैं।** युवा / जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कम से कम तीसरा स्थान। **(या)** भारतीय ओलंपिक संघ के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में कम से कम तीसरा स्थान। **(या)** भारतीय विश्वविद्यालय संघ के तत्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय चैंपियनशिप में कम से कम तीसरा स्थान।

नोट: उच्च वेतन लेवलों में भर्ती के लिए न्यूनतम खेल मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार निम्न वेतन लेवलों में भर्ती के लिए भी आवेदन करने के पात्र होंगे। हालांकि, ऐसे आवेदकों पर केवल उसी वेतन लेवल पर भर्ती के लिए विचार किया जा सकता है जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है और उन्हें यह वचन देना होगा कि रेलवे में शामिल होने से पहले अर्जित खेल उपलब्धियों के आधार पर, वे रेलवे में शामिल होने के बाद उच्च वेतन लेवल का दावा नहीं करेंगे।

उदाहरण के लिए, लेवल 3 / 2 के खेल मानदंड वाले खिलाड़ी लेवल 1 की रिक्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं और ऐसे आवेदकों पर केवल लेवल 1 में ही विचार किया जाएगा और उन्हें यह वचन देना होगा कि रेलवे में शामिल होने के बाद, वे रेलवे में शामिल होने से पहले की खेल उपलब्धियों के आधार पर उच्च वेतन का दावा नहीं करेंगे।

5.3 कुछ विषयों के लिए अतिरिक्त स्वीकार्य खेल उपलब्धियों के पात्रता मानदंड:

(क) एथलेटिक्स में, राष्ट्रीय अंतर-राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रदर्शन पर भी लेवल-2 के पदों पर भर्ती के लिए विचार किया जा सकता है।

एथलेटिक्स में, ओपन राष्ट्रीय चैंपियनशिप (सीनियर), अंतर-राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप (सीनियर) और एशियाई चैंपियनशिप (सीनियर) में स्वर्ण पदक विजेता को भी लेवल 4 / 5 में भर्ती के लिए विचार किया जा सकता है।

(ख) टेनिस में, खिलाड़ियों को उनकी वर्तमान वार्षिक भारत रैंकिंग के आधार पर विभिन्न वेतन लेवलों पर, निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार, भर्ती के लिए भी विचार किया जा सकता है:

वेतन लेवल	न्यूनतम खेल मानदंड आवश्यक		
	आयु वर्ग	इवेंट	वर्तमान वार्षिक अखिल भारतीय रैंकिंग
लेवल - 2 / 3	सीनियर्स	एकल	20वें स्थान तक
	सीनियर्स	युगल	4वें स्थान तक
	युवा	एकल	6वें स्थान तक
	जूनियर्स	एकल	6वें स्थान तक
लेवल - 4 / 5	सीनियर	एकल	8वें स्थान तक

नोट: इन उद्देश्यों के लिए केवल वर्तमान वार्षिक अखिल भारतीय रैंकिंग पर ही विचार किया जाएगा। भर्ती के उद्देश्य के लिए उच्चतम रैंकिंग को एक वर्ष के लिए वैध माना जा सकता है। मिश्रित युगल में रैंकिंग पर विचार नहीं किया जाएगा।

टेनिस में, राष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीनियर चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रदर्शन को भी वेतन लेवल -2 के पदों पर भर्ती के लिए विचार किया जा सकता है।

(ग) राष्ट्रीय लेवल पर क्रिकेट (पुरुष और महिला) में, बीसीसीआई के तत्वावधान में आयोजित निम्नलिखित खेल उपलब्धियों पर भी भर्ती के लिए विचार किया जा सकता है।

वेतन लेवल	न्यूनतम खेल मानदंड
लेवल - 4/5	2 टेस्ट मैचों / 2 सीमित ओवरों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों / 2 ट्वेंटी-20 ओवरों के मैचों में भारत-ए और भारत अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व
लेवल - 3/2	i) सीनियर / अंडर-23 / अंडर-19 अखिल भारतीय अंतर-राज्यीय ग्रुप चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनलिस्ट (प्लेट ग्रुप को छोड़कर) **(या)** ii) सीनियर / अंडर-23 / अंडर-19 अखिल भारतीय अंतर-क्षेत्रीय चैंपियनशिप में भागीदारी **(या)** iii) सीनियर / अंडर-23 / अंडर-19 चैलेंजर ट्रॉफी में भागीदारी
लेवल -1	सीनियर / अंडर-23 / अंडर-19 अखिल भारतीय अंतर-राज्यीय चैंपियनशिप में प्री-क्वार्टर फाइनलिस्ट (प्लेट ग्रुप को छोड़कर)

(घ) गोल्फ में, (i) लेवल-2 / 3 के पदों पर भर्ती के लिए, 60 तक I.G.U रैंकिंग वाले खिलाड़ी; और (ii) लेवल-1 के पदों पर भर्ती के लिए; 100 तक I.G.U रैंकिंग वाले खिलाड़ी, एकल हैंडीकैप के अधीन, अर्थात 10 से कम (मेरिट / एमेच्योर मेरिट सूची के क्रम में), भी भर्ती के लिए पात्र होंगे। इन उद्देश्यों के लिए केवल वर्तमान वार्षिक अखिल भारतीय रैंकिंग पर ही विचार किया जाएगा।

भर्ती के वर्ष में सर्वोच्च रैंकिंग को इस उद्देश्य के लिए माना जा सकता है।

खिलाड़ियों को आरएसपीबी से एनओसी लेने के बाद उनकी भर्ती के 5 वर्ष पूरे होने पर ही पेशेवर टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति दी जा सकती है।

(ङ) हॉकी (पुरुष) में, लेवल 2 या लेवल 3 के पदों पर भर्ती के लिए, चार या अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट (सीनियर या जूनियर) में भागीदारी पर भी विचार किया जा सकता है या सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सेमीफाइनलिस्ट पर भी विचार किया जा सकता है।

(च) **उपरोक्त सभी चैंपियनशिप मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय खेल महासंघों के तत्वावधान में आयोजित की जाएंगी और रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड (आरएसपीबी) द्वारा भी मान्यता प्राप्त होंगी।**

(छ) जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में खेल उपलब्धियों के आधार पर खिलाड़ियों की भर्ती के लिए, केवल नीचे उल्लिखित आयु समूहों पर ही विचार किया जाएगा।

क्र. सं.	अनुशासन	श्रेणी	मान्यता प्राप्त जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का विवरण	
			आयु समूह	चैंपियनशिप का नाम
1	एथलेटिक्स	पुरुष और महिला	अंडर-20	जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप
2	बास्केटबॉल	पुरुष और महिला	अंडर-18	जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप
3	मुक्केबाजी	पुरुष और महिला	अंडर-17	जूनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप
4	क्रिकेट	पुरुष	अंडर-23	कर्नल सी.के. नायडू ट्रॉफी (अंतर राज्यीय चैम्पियनशिप)
			अंडर-19	कूच बिहार ट्रॉफी (अंतरराज्यीय चैम्पियनशिप)
			अंडर-19	वीनू मांकड़ ट्रॉफी (एक दिवसीय सीमित ओवरों की अंतरराज्यीय चैम्पियनशिप)
	क्रिकेट	महिला	अंडर-19	अंतरराज्यीय अखिल भारतीय नॉकआउट/ अंतरराज्यीय क्षेत्रीय टूर्नामेंट (एक दिवसीय सीमित ओवरों का टूर्नामेंट)
			अंडर-19	अखिल भारतीय अंतरक्षेत्रीय टूर्नामेंट (एक दिवसीय सीमित ओवरों की चैम्पियनशिप)
5	फुटबॉल	पुरुष	अंडर-19	जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैम्पियन शिप (बी.सी. रॉय ट्रॉफी के लिए)
6	हॉकी	पुरुष	अंडर-21	जूनियर (अंडर-21) राष्ट्रीय हॉकी चैम्पियनशिप
7	तैराकी	पुरुष	अंडर-17 (ग्रुप-1)	जूनियर राष्ट्रीय एक्वाटिक चैम्पियनशिप
8	टेनिस	पुरुष	अंडर-18	डीएससीएल जूनियर राष्ट्रीय टेनिस चैम्पियनशिप (सभी आयु वर्गों के लिए)
			अंडर-18	एडिडास राष्ट्रीय टेनिस चैम्पियनशिप (अंडर-18 और उससे कम आयु वर्गों के लिए)
9	भारोत्तोलन	पुरुष और महिला	अंडर-20	जूनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैम्पियनशिप
10	गोल्फ	पुरुष	अंडर-18	जूनियर और सब-जूनियर राष्ट्रीय गोल्फ चैम्पियनशिप

(ज) केवल मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय / राज्य खेल महासंघ के तत्वावधान में आयोजित और रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सभी चैम्पियनशिप ही स्वीकार्य होंगी।

(झ) भर्ती किए गए अभ्यर्थियों को केवल सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के संबंधित लेवलों में न्यूनतम वेतन पर रखा जाएगा।

क्रमशः

6. **भर्ती प्रक्रियाः** भर्ती ट्रायल के दौरान प्रदर्शन, खेल उपलब्धियों के मूल्यांकन और शैक्षिक योग्यता के आधार पर होगी। केवल ट्रायल में फिट पाए जाने वाले उम्मीदवारों पर ही अगले चरण के लिए विचार किया जाएगा।

7. **(I) चयन प्रक्रियाः**

i. इस भर्ती के लिए, सभी पात्र उम्मीदवारों को ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। पात्र उम्मीदवारों के खेल प्रदर्शन और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए ट्रायल आयोजित किए जाएंगे।

ii. ट्रायल की तिथियां बाद में अधिसूचित की जाएंगी और आरआरसी चेन्नई वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी। हालांकि उम्मीदवारों को पहले से सूचित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे, उम्मीदवारों को आगाह किया जाता है कि उन्हें अल्प सूचना पर चयन ट्रायल में उपस्थित होना पड़ सकता है। उम्मीदवारों को इस संबंध में जानकारी के लिए नियमित रूप से आरआरसी वेबसाइट की जांच करने की सलाह दी जाती है।

iii. उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उन्हें शैक्षिक योग्यता, समुदाय, खेल उपलब्धियों, जन्म तिथि, अल्पसंख्यक आय प्रमाण पत्र और पहचान के प्रमाण जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि आवेदन के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियां दस्तावेज़ सत्यापन के दिन और ट्रायल के दिन प्रस्तुत करनी होंगी, ऐसा न करने पर, उम्मीदवार को ट्रायल में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

iv. ट्रायल आदि की तिथियों / स्थल में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

(II) अंकों का वितरणः

(क) ट्रायल समिति अगले चरण के लिए उपयुक्त या अनुपयुक्त के रूप में अपनी सिफारिश देगी, जिसके लिए नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार अंक (अधिकतम 40 अंक) दिए जाएँगेः

(i)	ट्रायल के दौरान खेल कौशल, शारीरिक फिटनेस और कोच के अवलोकन के लिए	40 अंक
(ii)	उपयुक्त उम्मीदवार	25 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार
(iii)	अनुपयुक्त उम्मीदवार	25 से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार

(ख) ट्रायल के बाद, केवल उपयुक्त उम्मीदवारों पर ही अगले चरण के लिए विचार किया जाएगा। ट्रायल में उपयुक्त नहीं घोषित किए गए उम्मीदवारों का मूल्यांकन भर्ती समिति द्वारा नहीं किया जाएगा।

(ग) ट्रायल और अगले चरण के दौरान प्रदर्शन के लिए दिए जा सकने वाले अधिकतम अंक निम्नानुसार होंगेः

(i)	ट्रायल के दौरान खेल कौशल, शारीरिक फिटनेस और कोच के अवलोकन के लिए	40 अंक
(ii)	मानदंडों के अनुसार मान्यता प्राप्त खेल उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए	50 अंक
(iii)	शैक्षिक योग्यता	10 अंक
	कुल	**100 अंक**

(III) न्यूनतम अर्हक अंकः
लेवल-4 / 5, लेवल-2 / 3 और लेवल-1 में भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हक अंक निम्नानुसार हैंः

क्र.सं.	लेवल	न्यूनतम अर्हक अंक
1.	लेवल-4 / 5 (ग्रेड वेतन 2400 / 2800)	70 अंक
2.	लेवल-2 / 3 (ग्रेड वेतन 1900 / 2000)	65 अंक
3.	लेवल-1 (ग्रेड वेतन 1800)	60 अंक

नोटः

(क) नियुक्ति का प्रस्ताव पूर्णतः योग्यता और रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर दिया जाएगा। यदि एक से अधिक खिलाड़ी समान अंक प्राप्त करते हैं, तो योग्यता निर्धारण हेतु कम उम्र के उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।

(ख) केवल वही खिलाड़ी भर्ती के लिए विचार किया जाएगा जो दक्षिण रेलवे टीम में शामिल हो सके।

(ग) **यदि लेवल 4 / 5 में 5 पदों की भर्ती के लिए कोई वैध आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो इन पाँच पदों को लेवल 2 / 3 में डाउनग्रेड कर दिया जाएगा और इस लेवल के लिए विज्ञापित स्पर्धाओं के अनुशासन में उपयुक्त उम्मीदवारों की भर्ती के लिए उपयोग किया जाएगा।**

8. परीक्षा शुल्क / छूटः

क्र.सं.	उम्मीदवार श्रेणियाँ	शुल्क
1.	नीचे क्र.सं. 2 में उल्लिखित शुल्क रियायत श्रेणियों को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के लिए शुल्क। ** ट्रायल में उपस्थित होने पर बैंक शुल्क काटकर रु. 400 वापस कर दिए जाएँगे।	रु. 500 / -
2.	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला / भूत पूर्व सैनिक / दिव्यांग व्यक्ति /अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए। ** ट्रायल में उपस्थित होने पर बैंक शुल्क काटकर 250 रुपये वापस कर दिए जाएँगे।	रु. 250 / -

(I) आवेदन करते समय, शुल्क में छूट / छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में आवश्यक प्रमाण पत्र, अर्थात अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अल्पसंख्यक / ईबीसी, प्रस्तुत करने होंगे।

(II) आवश्यक परीक्षा शुल्क के बिना आवेदन पत्र तुरंत अस्वीकार कर दिए जाएँगे।

(III) अल्पसंख्यकों का अर्थ मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी होगा।

(IV) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का अर्थ वे उम्मीदवार होंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु. 50,000 / - प्रति वर्ष से कम है। निम्नलिखित को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार हैः

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारीः

क) जिला मजिस्ट्रेट या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के लेवल से नीचे न हो।

ख) अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के वर्तमान सांसद।

ग) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड या केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र।

घ) केंद्रीय मंत्री देश में कहीं से भी किसी भी व्यक्ति के लिए सिफारिश कर सकते हैं।

ङ) राज्य सभा के वर्तमान सांसद, उस जिले के व्यक्तियों के लिए जहाँ ये सांसद सामान्यतः निवास करते हैं।

च) उपर्युक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए जो आरआरसी चेन्नई वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसे जारी करने वाले प्राधिकारी के लेटरहेड पर जारी किया जाना चाहिए।

नोटः प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए (प्रोफार्मा आरआरसी चेन्नई वेबसाइट पर उपलब्ध है) और आवेदन भरते समय उसकी भरी हुई प्रति अपलोड की जानी चाहिए, **अन्यथा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।**

8.1. शुल्क भुगतानः

क) शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के भाग के रूप में केवल भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा।

ख) आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों की सत्यता सुनिश्चित करने के बाद, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के साथ एकीकृत भुगतान गेटवे के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना होगा।

ग) भुगतान स्क्रीन पर पूछी गई जानकारी प्रदान करके डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / इंटरनेट बैंकिंग आदि का उपयोग करके किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान के लिए लेनदेन शुल्क, यदि कोई हो, उम्मीदवारों द्वारा वहन किया जाएगा।

घ) लेनदेन के सफल समापन पर, उम्मीदवार द्वारा दर्ज की गई तिथि के साथ एक ई-रसीद तैयार की जाएगी, जिसे उम्मीदवार को सहेज / प्रिंट करके रखना होगा।

ङ) यदि ऑनलाइन लेनदेन सफलतापूर्वक पूरा नहीं होता है, तो कृपया पुनः ऑनलाइन भुगतान करें।

9. समुदाय प्रमाण पत्रः

कोई भी पद विशेष रूप से ओबीसी और एससी / एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित नहीं है। हालाँकि, ओबीसी और एससी / एसटी समुदायों से संबंधित होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप (प्रोफार्मा आरआरसी वेबसाइट पर उपलब्ध है) में सक्षम प्राधिकारी से समुदाय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और उसकी एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।

ओबीसी उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत समुदाय प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि उम्मीदवार क्रीमी लेयर के व्यक्तियों / वर्गों से संबंधित नहीं है। उपयुक्त ओबीसी समुदाय प्रमाण पत्र के बिना उम्मीदवारों को अनारक्षित माना जाएगा।

10. चिकित्सा परीक्षाः

नियुक्ति के लिए अनुशंसित खिलाड़ियों को उस पद के लिए न्यूनतम चिकित्सा मानदंडों को पूरा करना होगा जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया जा रहा है।

11. सामान्य निर्देशः

खिलाड़ियों की भर्ती रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2010 / ई (खेल) / 4(1) / 1(नीति) दिनांक 31.12.2010 के अनुसार की जाएगी, जिसे रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी संशोधनों / संशोधनों के साथ पढ़ा जाएगा।

11.1 **आयु, समुदाय, शैक्षिक योग्यता, खेल उपलब्धियों और शुल्क में छूट का दावा करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाने चाहिए।**

11.2 प्रमाणपत्रों की सभी प्रतियाँ स्व-सत्यापित और अपलोड की जानी चाहिए।

11.3 अंग्रेजी या हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में प्रमाणपत्रों के साथ अंग्रेजी / हिंदी में सत्यापित अनुवाद संलग्न करके अपलोड किया जाना चाहिए।

11.4 रेलवे संगठनों के अर्ध-प्रशासनिक कार्यालयों के सेवारत कर्मचारियों और स्टाफ को नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र और नियमित सेवा अवधि आदि बताने वाले वास्तविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने चाहिए और उन्हें अपलोड करना चाहिए।

11.5 अन्य केंद्रीय / राज्य सरकार के विभागों में सेवारत उम्मीदवारों को नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए और उसे अपलोड करना चाहिए।

11.6 अल्पसंख्यक समुदाय और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में दस्तावेजी प्रमाण अपलोड करना चाहिए।

12. महत्वपूर्ण निर्देशः

12.1 उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय प्रासंगिक प्रमाणपत्रों की जाँच और अपलोड की पुष्टि करनी चाहिए।

12.2 आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

12.3 उम्मीदवारों को परीक्षण और दस्तावेज़ सत्यापन के दिन जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता, खेल उपलब्धियों और समुदाय के समर्थन में अपने **"मूल प्रमाण पत्र"** लाने चाहिए।

12.4 ऑनलाइन आवेदन भरते समय खेल अनुशासन का नाम जैसे बास्केटबॉल, क्रिकेट और तैराकी आदि, और खिलाड़ी का विशिष्ट इवेंट / स्थान (जैसे पिवट / बल्लेबाज / 50 मीटर बटरफ्लाई स्ट्रोक आदि) सही ढंग से चुना जाना चाहिए।

12.5 भर्ती के सभी चरणों में उम्मीदवारों का प्रवेश निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन पूरी तरह से अनंतिम होगा।

12.6 उम्मीदवार को केवल कॉल लेटर जारी करने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है।

12.7 उम्मीदवार को आवेदन अपलोड करने की अंतिम तिथि के बाद अल्प सूचना पर ट्रायल / दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होने के लिए तैयार रहना चाहिए।

12.8 उम्मीदवार को रेलवे प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट तिथि, समय और स्थान पर अपने खर्च पर ट्रायल / दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होना होगा।

क्रमशः

(पिछले पृष्ठ का शेष)

12.9 तिथि, समय और स्थान में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

12.10 उम्मीदवार को ट्रायल के लिए चेन्नई या किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान पर कुछ दिनों के लिए अपनी यात्रा और ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

12.11 रेलवे प्रशासन बिना कोई कारण बताए भर्ती के चरणों में परिवर्तन करने या किसी भी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी भाग या पूर्ण भाग को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

12.12 भर्ती प्रक्रिया के किसी भी भाग में उम्मीदवार द्वारा दुर्व्यवहार या कदाचार का कोई भी कार्य सख्त वर्जित है और किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार में संलिप्तता को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और बिना किसी सूचना के उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

12.13 भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

12.14 खेल कोटे के अंतर्गत भर्ती किए गए खिलाड़ियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए **"सेवा बांड"** भरना होगा।

12.15 खेल कोटे के अंतर्गत भर्ती किए गए खिलाड़ी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान खेल के क्षेत्र में उनका प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो परिवीक्षा अवधि को अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जाएगा और नियुक्ति में स्थायी होने के लिए उन्हें अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। विस्तारित परिवीक्षा अवधि के बाद भी, यदि प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो उनकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।

12.16 उम्मीदवार ध्यान दें कि यदि कोई उम्मीदवार फर्जी / जाली दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है या दी गई कोई भी जानकारी झूठी या गलत पाई जाती है, तो उसकी उम्मीदवारी / आवेदन किसी भी चरण, यानी परीक्षण / साक्षात्कार / पैनलमेंट / नियुक्ति के बाद, बिना किसी सूचना के रद्द / समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, ऐसे उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

13. अमान्य आवेदन।

उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण हों। निम्नलिखित कमियों वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

13.1 रिक्त कॉलम / अधूरे आवेदन।

13.2 स्कैन किए गए हस्ताक्षर के बिना आवेदन।

13.3 स्कैन की गई फोटो के बिना आवेदन।

13.4 स्कैन की गई फोटो के साथ आवेदन, लेकिन चश्मा पहने हुए या टोपी के साथ या विग या रंगीन चश्मे के साथ या विकृत / छोटे आकार या पहचान में न आने वाली फोटोग्राफें।

13.5 किसी विशेष खेल में खेले गए विशिष्ट इवेंट / स्थिति का उल्लेख किए बिना आवेदन।

13.6 कम आयु या अधिक आयु के उम्मीदवार या जन्मतिथि का कॉलम नहीं भरा गया है या गलत भरा गया है।

13.7 आवेदन जमा करने की तिथि तक, आवेदन किए गए पद के लिए पैरा 3.2 और पैरा 5 के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक और खेल योग्यताएँ नहीं रखते हैं।

13.8 बिना आवेदन शुल्क या कम शुल्क वाले आवेदन।

13.9 पैरा 8 के अनुसार शुल्क में छूट का दावा करने के लिए प्रासंगिक प्रमाण पत्र के बिना आवेदन, जहां भी दावा किया गया हो।

13.10 जन्मतिथि,शैक्षणिक योग्यता खेल उपलबिधयों और अन्य योग्यताओं आदि के प्रमाण के बिना आवेदन।

13.11 अपलोड किया हुआ अपाठ्य / अपाठ्यनीय दस्तावेजों के साथ आवेदन।

13.12 एक ही पद और अनुशासन के लिए सूचना और / या तथ्यों या भिन्न विवरणों में मामूली बदलाव के साथ एक से अधिक आवेदन।

13.13 ऑनलाइन के अलावा किसी अन्य माध्यम से जमा किए गए आवेदन (कोई भी भौतिक आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा)।

13.14 आरआरसी चेन्नई द्वारा देखी गई और अमान्य मानी गई किसी भी अन्य प्रकार की अनियमितता।

13.15 यह सूची केवल उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं है। किसी भी लेवल पर रेलवे प्रशासन द्वारा देखी गई किसी भी अन्य अनियमितता / कमी पर आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएँगे।

14. आवेदन कैसे करें:

14.1 पात्र उम्मीदवार आरआरसी चेन्नई वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

14.2 भर्ती से संबंधित सभी मामलों में रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम और उम्मीदवार पर बाध्यकारी होगा।

15. अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़:

उम्मीदवारों को निम्नलिखित सुपाठ्य दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:

i. अधिसूचना के पैरा 3.2 में **निर्धारित आवश्यक न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट / प्रमाणपत्रों की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति। उच्च शैक्षणिक योग्यता जैसे स्नातक या स्नातकोत्तर, यदि कोई हो, की मार्कशीट / प्रमाणपत्रों की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति भी अपलोड करें।**

ii. अधिसूचना के पैरा 5 में निर्धारित **आवश्यक खेल उपलब्धियों के प्रमाणपत्रों की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति।**

iii. **कक्षा 10वीं / मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक विद्यालय परित्याग परीक्षा या इसके समकक्ष प्रमाणपत्र या जन्म तिथि दर्शाने वाली मार्कशीट या जन्म तिथि दर्शाने वाला विद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति।**

iv. **अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का दावा करने वालों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति।**

v. **पैरा 8 के अंतर्गत शुल्क में छूट** का दावा करने के लिए प्रमाण पत्रों की प्रतियां। **अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के मामले में अल्पसंख्यक घोषणा, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के मामले में जारी आयकर प्रमाण पत्र / बीपीएल कार्ड / रेलवे द्वारा जारी आईएसएसटी / एमएसटी।**

vi. **स्कैन की गई फोटो, स्कैन किए गए हस्ताक्षर।**

आवेदन पत्र अपलोड करने के बाद अलग से भेजे गए किसी भी प्रमाण पत्र, तस्वीर आदि पर विचार नहीं किया जाएगा।

नोट-I: स्कैन की गई फोटो / तस्वीर की सॉफ्ट कॉपी

उम्मीदवारों को अपनी नवीनतम रंगीन फोटो (आकार 3.5 सेमी x 3.5 सेमी, जो आवेदन की तिथि से एक महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, रंगीन, JPG / JPEG प्रारूप में, 100 DPI, फ़ाइल का आकार 50 kb और 100 kb के बीच होना चाहिए) अपलोड करनी होगी, जिसमें उम्मीदवार का सामने का दृश्य स्पष्ट हो, बिना टोपी और धूप के चश्मे के। उम्मीदवार ध्यान दें कि RRC - चेन्नई किसी भी लेवल पर पुरानी / अस्पष्ट फोटो अपलोड करने या आवेदन पत्र में अपलोड की गई फोटो और उम्मीदवार की वास्तविक शारीरिक बनावट में किसी भी महत्वपूर्ण अंतर के लिए आवेदन अस्वीकार कर सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दस्तावेज़ सत्यापन के समय लाने के लिए उसी फोटो की कम से कम तीन अतिरिक्त प्रतियाँ अपने पास रखें।

नोट-II: स्कैन किए गए हस्ताक्षर / हस्ताक्षर की छवि की सॉफ्ट कॉपी

उम्मीदवारों को अपने स्कैन किए हुए हस्ताक्षर (आकार 3.5 सेमी x 2.5 सेमी, JPG / JPEG प्रारूप, 100 DPI, फ़ाइल का आकार 10 kb से 40 kb के बीच होना चाहिए) भी अपलोड करने होंगे। स्कैन किए गए हस्ताक्षर अंग्रेजी या हिंदी में, और रनिंग हैंड में होने चाहिए, न कि बड़े अक्षरों में या असंबद्ध अक्षरों में।

रेलवे में नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके या तो प्रभाव डालकर या अनुचित और अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल करके उम्मीदवारों को धोखा देने की कोशिश करने वाले नौकरी-धोखेबाजों से सावधान रहें। दक्षिण रेलवे ने किसी भी एजेंट या प्रशिक्षण एजेंसी की नियुक्ति नहीं की है। दक्षिण रेलवे द्वारा की जाने वाली सभी भर्तियाँ पूरी तरह से योग्यता आधारित हैं।

अध्यक्ष,
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, चेन्नई।

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, निर्माण भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

-:: प्रथम (1) काउंसिलिंग हेतु सूचना ::-

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर अटल नगर (छत्तीसगढ़) द्वारा विभाग के प्रस्ताव पर दिनांक 13.07.2025 को उपअभियंता (सिविल) तथा उपअभियंता (विद्युत/यॉँत्रिकी) के पद पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा (PWSE25) आयोजित की गई तथा परीक्षा का परिणाम व्यापम की वेबसाईट पर दिनांक 03.09.2025 को प्रदर्शित किया गया। परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् विज्ञप्ति में दी गई कंडिकाओं के अनुरूप मेरिट आधार पर अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच हेतु विभाग द्वारा विज्ञापित रिक्त पदों हेतु काउंसिलिंग किया जाना है।

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों एवं उसकी स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित छायाप्रतियाँ सहित दिनांक 29.09.2025 को समय प्रातः 11.00 बजे कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, निर्माण भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छत्तीसगढ़) में उपथित होवें :-

(I) ऑनलाईन प्रदर्शित अभ्यर्थी का बायोडाटा (फोटो राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित), (II) भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र (ADMIT CARD), (III) हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2), (IV) हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्ष परीक्षा (10+2), (V) निर्धारित शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र/समस्त सेमेस्टर की अंकसूची / उपाधि प्रमाण पत्र, (VI) स्थाई जाति प्रमाण पत्र, (VII) जाति सत्यापन प्रमाण पत्र, (VIII) संलग्न प्रारूप (एक) अनुसार शपथ-पत्र (यदि जाति सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं हो तो), (IX) छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र (X) रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, (XI) अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि शासकीय सेवा में हो तो), (XII) भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, (XIII) एवं अन्य प्रमाण पत्र/दस्तावेज (यदि कोई हो तो)।

इस हेतु अभ्यर्थियों को डाक के माध्यम से सूचना नहीं दी जावेगी। काउंसिलिंग हेतु बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों का नाम, अनुक्रमांक (रोल नं.) एवं अन्य विवरण का अवलोकन हेतु लोक निर्माण विभाग के वेबसाईट HTTPS://PWD.CG.NIC.IN एवं कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया गया है।

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

आर.ओ.148जी-252603598/3

अधिकारी के रूप में टेरिटोरियल सेना से जुड़ें

(केवल भूतपूर्व सशस्त्र सेना कमीशन्ड अधिकारी के लिए)

अंशकालिक वचनबद्धता और पूर्णकालिक करियर के लिए नहीं!

सेना मुख्यालय चयन बोर्ड(एएसबी) भूतपूर्व अधिकारी-2025

आवेदन जमा करने की तिथि: 01 सितम्बर 2025 से 14 अक्टूबर, 2025 (29 अगस्त 2025 को भारतीय सेना वेबसाइट पर अपलोड किया गया आवेदन लिंक देखें)

(साक्षात्कार की तिथि: नवंबर 2025)

(आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 14 अक्टूबर 2025)

(आधिकारिक वेबसाइट: www.indianarmy.nic.in)

अपने प्रमुख व्यवसाय को ना छोड़ते हुए एक मिलिट्री पर्यावरण में सेवा देने के लिए भूतपूर्व सेवा अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के कॉन्सेप्ट पर आधारित टेरिटोरियल सेना अधिकारियों के रूप में देश की सेवा करने और दोबारा वर्दी पहनने के अवसर को पाने के लिए नियुक्त भूतपूर्व सशस्त्र सेना कमिशन्ड अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित हैं. आप दो क्षमताओं में देश की सेवा कर सकते हैं: सिविलियन के रूप में और सैनिक के रूप में.

1. **रिक्तियों की कुल संख्या:**
   क. पुरुष-10 **ख. महिला-01**
   नोट: संगठन की अपेक्षा के अनुसार रिक्तियां बदल सकती हैं.
2. **पात्रता की शर्तें:**
   क. केवल भूतपूर्व सेवा कमीशन्ड अधिकारी आवेदन कर सकते हैं.
   ख. राष्ट्रीयता: केवल भारत के नागरिक (पुरुष और महिला).
   ग. आयु सीमा: आवेदन की तिथि को 18 से 42 वर्ष.
   घ. शैक्षिक योग्यताएं: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक.
   ङ. शारीरिक मानदंड: उम्मीदवार को सभी रूपों में शारीरिक और चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए.
   च. रोजगार: लाभप्रद रूप से नियुक्त.
   नोट: नियमित सेना/नौसेना/वायु सेना/पुलिस/जीआरईएफ/पैरा मिलिट्री और ऐसी सेनाओं के सेवारत सदस्य पात्र नहीं हैं.

3. **साक्षात्कार की तिथि: नवंबर 2025** (सही तिथियां बाद में डाक/ईमेल द्वारा सूचित कर दी जाएगी).
4. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि:** सभी रूपों में पूर्ण आवेदन **महानिदेशालय टेरिटोरियल सेना, रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय, चौथी मंजिल, ए ब्लॉक, रक्षा मंत्रालय कार्यालय परिसर, केजी मार्ग, नई दिल्ली-110001** के पास **14 अक्टूबर 2025** से पहले पहुंच जाने चाहिए.
5. उक्त उल्लिखित अनुसार साक्षात्कार की तिथि, सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बदल सकती है.
6. **भूतपूर्व सेवा अधिकारी परीक्षा के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित करें:** एएसबी के लिए आवेदन कर रहे भूतपूर्व सेवा अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि वे साक्षात्कार में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं. साक्षात्कार के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर पूर्णतः अनंतिम होगा. **भूतपूर्व सेवा अधिकारियों को प्रवेश प्रमाणपत्र जारी होने मात्र से यह आशय नहीं है कि उनकी उम्मीदवारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से क्लियर कर दिया गया है.**
7. **परीक्षा का प्रकार:** केवल साक्षात्कार.
8. **आवेदन कैसे करें:** तीनों सेवाओं के सभी भूतपूर्व सेवा अधिकारी (केवल कमीशन्ड अधिकारी) **www.indianarmy.nic.in** (निःशुल्क) से **आवेदन पत्र (आईएएफ (टीए) -9 (संशोधित) भाग-1)** डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन के साथ **रीलीज़ ऑर्डर और रीलीज चिकित्सा बोर्ड कार्यवाही की फोटोकॉपी** महानिदेशालय टेरिटोरियल सेना, रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय, चौथी मंजिल, ए ब्लॉक, रक्षा मंत्रालय कार्यालय परिसर, केजी मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास भेजें. आवेदन केवल भारतीय डाक द्वारा भेजे जाएं.
9. भूतपूर्व सेवा अधिकारी ध्यान दें कि साक्षात्कार की तिथि में परिवर्तन में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.
10. पात्र भूतपूर्व सेवा अधिकारियों को एक बुलावा पत्र जारी किया जाएगा और टेरिटोरियल सेना निदेशालय द्वारा डाक द्वारा भेजा जाएगा.
11. **चयन प्रक्रिया:**
    क. भूतपूर्व सेवा अधिकारियों को महानिदेशालय टेरिटोरियल सेना, रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय, चौथी मंजिल, ए ब्लॉक, रक्षा मंत्रालय कार्यालय परिसर, केजी मार्ग, नई दिल्ली-110001 में आयोजित सेना मुख्यालय चयन बोर्ड (एएसबी) द्वारा स्क्रीन किया जाएगा.
    ख. प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या और रिक्तियों को भरने के आधार पर सेना मुख्यालय साक्षात्कार के लिए आवेदकों की संख्या को बुलाने का अधिकार सुरक्षित रखता है. यदि आवेदक बुलावा पत्र प्राप्त नहीं करता है तो **एएसबी-2025** के लिए उम्मीदवारी को निरस्त माना जाएगा.
    ग. एएसबी में संस्तुत उम्मीदवारों को सशस्त्र सेना क्लिनिक, नई दिल्ली में चिकित्सा परीक्षा के बाद अंतिम चयन के लिए अपना पुलिस सत्यापन देना होगा.
12. **प्रशिक्षण के लिए एंबोडीमेंट:**
    क. **टीए नियम 20ए में दिए गए अनुसार पूर्व-कमीशन प्रशिक्षण (कथित पूर्वकमीशन प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर केवल टीए में उम्मीदवारों को कमीशन्ड किया जाएगा).**
    ख. पहले वर्ष (लागू अनुसार) सहित दो माह का वार्षिक प्रशिक्षण कैंप प्रत्येक वर्ष.
13. **सेवा के नियम व शर्तें:**
    क. टेरिटोरियल सेना अंश कालिक कॉन्सेप्ट के साथ एक वर्ष में अनिवार्य दो माह का प्रशिक्षण है और पूर्ण कालिक करियर प्रदान नहीं करता है.
    ख. टेरिटोरियल सेना में सेवा पेंशन की गारंटी नहीं देता है और यह संगठन की अपेक्षा के अनुसार शामिल सेवा पर है.
    ग. टीए नियम 20ए में रखी गई अपेक्षाओं पर लेफ्टिनेंट के ओहदे में आयोग अनुदान है.
    घ. वेतन और भत्ते और विशेषाधिकार, प्रशिक्षण और मिलिट्री सेवा के लिए जब सम्मिलित नियमित सेना अधिकारियों के समान होंगे.
    ङ. रखे गए मानदंड को पूरा करने पर समय स्केल द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल तक पदोन्नति. कर्नल और ब्रिगेडियर में पदोन्नति चयन द्वारा होगी.
    च. एक बार पूर्व सेवा संबंधित पीसीडीए(ओ) से सत्यापित हो जाती है तो उन्हें वेतन और पदोन्नति के लिए एंट्री-तिथि वरिष्ठता प्रदान की जाएगी.
    छ. **वेतनमान (VII सीपीसी):**

ओहदा	लेवल	वेतन मैट्रिक्स	मिलिट्री सेवा वेतन
लेफ्टिनेंट	लेवल 10	56,100-1,77,500	15500/-
कैप्टन	लेवल 10ए	61,300-1,93,900	15500/-
मेजर	लेवल 11	69,400-2,07,200	15500/-
लेफ्टिनेंट कर्नल	लेवल 12ए	1,21,200-2,12,400	15500/-
कर्नल	लेवल 13	1,30,600-2,15,900	15500/-
ब्रिगेडियर	लेवल 13ए	1,39,600-2,17,600	15500/-

14. भूतपूर्व सेवा अधिकारियों को साक्षात्कार के समय मूल निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ स्व सत्यापित प्रतियां लानी होंगी. सभी भूतपूर्व सेवा अधिकारी जिनके पूर्ण दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, उन्हें साक्षात्कार में प्रस्तुत होने की अनुमति नहीं होगी.
    क. आवेदन पत्र आईएएफ (टीए)-9 (संशोधित) भाग-2 को **www.indianarmy.nic.in** से डाउनलोड किया जाए और अपनी हस्तलिपि में भरा जाए.
    ख. सभी शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र (मैट्रिक से शुरू करते हुए).
    ग. पंजीकृत एमबीबीएस डॉक्टर से हाल का शारीरिक स्वस्थता प्रमाणपत्र.
    घ. फोटो के साथ पहचान प्रमाण की प्रति (मतदाता पहचान पत्र/पैन कार्ड/आधार कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस आदि).
    ङ. अधिवास/आवासीय प्रमाण.
    च. आयु के प्रमाण के लिए प्रमाणपत्र (जन्मतिथि के सत्यापन के लिए मैट्रिक/ सीनियर सैकेण्डरी अंकतालिका और प्रमाणपत्र).
    छ. केन्द्र सरकारी/केन्द्र शासित राज्य/राज्य/अर्द्ध सरकारी/कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित निजी क्षेत्र में नियुक्त उम्मीदवारों द्वारा सेवा प्रमाणपत्र के साथ नीचे के पैरा (क) और (ग) में दिए गए प्रारूप के अनुसार विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र.
    ज. स्व नियुक्त उम्मीदवारों को रोजगार की प्रकृति और वार्षिक आय का उल्लेख करते हुए विधिवत सत्यापित न्यूनतम मूल्य के गैर-विधिक स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट के साथ **पैन कार्ड** और स्वप्रमाणित चरित्र प्रमाणपत्र जमा करना होगा.
    झ. भूतपूर्व सेवा अधिकारी जिनके दस्तावेजों में नाम में विभिन्नता है उन्हें समाचार कटिंग द्वारा विधिवत समर्थित सही नाम दिखाता भारत/राज्य के राजपत्र अधिसूचना की प्रति जमा करनी होगी.
    ञ. रीलीज ऑर्डर की प्रति.
    ट. रीलीज चिकित्सा बोर्ड कार्यवाही की प्रति.
    ठ. उपयुक्त प्राधिकारी (अर्थात् आय कर राजस्व विभाग/मजिस्ट्रेट/नियोक्ता) से हाल का आय प्रमाण.
    ड. पैन कार्ड की प्रति.
    ढ. आधार कार्ड की प्रति.
    ण. सभी पाठ्यक्रमों के प्रमाणपत्र/रिपोर्ट की प्रति.
    त. सेवामुक्ति/सेवा विवरण पुस्तिका.
    थ. फाइल किए गए हाल का आय कर रिटर्न (आईटीआर) की प्रति.
15. **निम्नलिखित लागू प्रमाणपत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:**
    क. कार्यालय अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित केन्द्र सरकार/केन्द्र शासित राज्य/ राज्य सरकार/अर्द्ध सरकारी में नियुक्त उम्मीदवारों द्वारा प्रदत्त किया जाने वाला प्रमाणपत्र.

मैं प्रमाणित करता हूं कि श्री/श्रीमती/कुमारी.................................पुत्र/पुत्री/पत्नी...........................पिछले ... वर्षों से .... के रूप में मेरे अधीन नियुक्त हैं और उनका चरित्र मेरे अनुसार सही है. उनकी टेरिटोरियल सेना में आयोग के अनुदान के लिए संस्तुति की जाती है/नहीं की जाती है. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... को अपेक्षित अनुसार टेरिटोरियल सेना की सेवा के लिए शामिल/प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध होंगे. यह भी आगे प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी................. धारण नहीं करते हैं और/या ....(विभाग /संगठन) में प्रमुख पद में भविष्य में धारण नहीं करेंगे. हालांकि बाद में प्रमुख व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में महानिदेशालय टेरिटोरियल सेना, नई दिल्ली से टेरिटोरियल सेना से उन्हें तुरंत कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया जाएगा.

स्थान: **हस्ताक्षर**
तिथि: **पदनाम:**
कार्यालय की मुहर/सील

ख. स्वनियुक्त कार्मिक द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र (उम्मीदवार द्वारा स्व-प्रमाणित)

(i) मैं....................(नाम)............................पुत्र/पुत्री/पत्नी......................... प्रमाणित करता हूं कि मैं मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार अच्छा चरित्र धारक हूं.

स्थान: **हस्ताक्षर**
तिथि: **नाम:**

(ii) नोटरी द्वारा विधिवत एंडोर्स न्यूनतम मूल्य के गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट.

मैं ....(नाम)........................पुत्र/पुत्री/पत्नी .... आवास एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और निम्नानुसार घोषणा करता हूं:

क. कि मैं उक्त पते का निवासी हूं.
ख. कि मैं.............................. के रूप में स्वनियुक्त हूं.
ग. कि सभी स्रोतों से मेरी वार्षिक आय लगभग ....रुपये है.

उक्त कथन मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुरूप सही और सत्य है.

प्रतिवादी

ग. निजी क्षेत्र में नियुक्त उम्मीदवारों द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र (कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाए).

प्रमाणित किया जाता है कि इस संगठन के कर्मचारी ....आवेदक का नाम पुत्र/पुत्री/पत्नी.......................... के सिविल और मिलिट्री वेतन और भत्ते के बीच किसी भी अंतर को टेरिटोरियल सेना में उनके प्रशिक्षण/मिलिट्री कार्यों की अवधि के लिए हमारे द्वारा भुगतान किया जाएगा. टेरिटोरियल सेना में मिलिट्री ड्यूटी से वापसी पर श्री/श्रीमती/कुमारी.......................... को इसी या समकक्ष पद में आमेलित किया जाएगा जिसे उन्होंने सिविल में बाधा उत्पन्न ना होने पर धारण किया होता और ऐसे प्रशिक्षण/मिलिट्री सेवा को उनके सिविल नौकरी में सभी लाभों के लिए गिना जाएगा जैसे पदोन्नति के लिए वरिष्ठता, वेतन की वृद्धि, बोनस और भविष्य निधि आदि जिनके वह अन्य रूप से हकदार होते.

स्थान: **हस्ताक्षर**
तिथि: **पदनाम:**
कार्यालय की मुहर

16. **अंतिम तिथि:** सभी रूपों में पूर्ण पत्र महानिदेशालय टेरिटोरियल सेना, रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय, चौथी मंजिल, ए ब्लॉक, रक्षा मंत्रालय कार्यालय परिसर, केजी मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास **14 अक्टूबर 2025** तक स्वीकार किए जाएंगे और आवेदन पत्र (निःशुल्क) डाउनलोड करें.
17. **अपूर्ण/अपाठ्य आवेदन और 14 अक्टूबर 2025 के बाद प्राप्त आवेदनों को किसी सूचना के बिना अस्वीकार कर दिया जाएगा.**
18. **सिविलियन उम्मीदवारों के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और किसी सूचना के बिना अस्वीकार कर दिए जाएंगे.**

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुविकल्पिय प्रश्नोत्तरी

1. "जनविश्वास विधेयक 2025" का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A. नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देना
B. सामान्य त्रुटियों पर आपराधिक मुकदमे को हटाना
C. शिक्षा का निजीकरण करना
D. धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण करना

2. छत्तीसगढ़ "जनविश्वास विधेयक" पारित करने वाला देश का कौन-सा राज्य बना है?
A. पहला
B. तीसरा
C. दूसरा
D. चौथा

3. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किस ऐतिहासिक महिला शासक के जीवन पर आधारित नाट्य मंचन में भाग लिया?
A. रानी लक्ष्मीबाई
B. लोकमाता अहिल्याबाई होलकर
C. चंद्रमुखी देवी
D. रानी दुर्गावती

4. मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में आयोजित किस समाज के सम्मेलन को संबोधित किया?
A. यादव समाज
B. रजक समाज
C. साहू समाज
D. कोरवा समाज

5. पेंड्रारोड के राजशेखर पैरी का चयन किस क्षेत्र से जुड़ा है?
A. खेल
B. साहित्य
C. निजी अंतरिक्ष मिशन
D. सूचना सेवा

6. रायगढ़ के किस बुनकर को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा?
A. मनोज वर्मा
B. नंदकिशोर देवांगन
C. आकाश कुमार देवांगन
D. दीपक निषाद

7. छत्तीसगढ़ की श्वेता शर्मा का चयन किस सेवा में हुआ है?
A. भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)
B. भारतीय विदेश सेवा (IFS)
C. भारतीय सूचना सेवा (IIS)
D. भारतीय राजस्व सेवा (IRS)

8. मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत किस बिंदु पर विशेष ध्यान दिया जाएगा?
A. निशुल्क पुस्तक वितरण
B. स्कूलों की ग्रेडिंग और रैंकिंग
C. शिक्षकों की नियुक्ति
D. खेलकूद सामग्री का वितरण

9. मुख्यमंत्री ने सड़कों पर पशुओं की समस्या के समाधान हेतु क्या निर्देश दिए?
A. सभी पशुओं को दंडित किया जाए
B. काउ-कैचर और गौठानों को सक्रिय किया जाए
C. जानवरों के लिए अस्पताल बनाएं
D. पालतू पशुओं पर टैक्स लगाया जाए

10. 'आकाश प्राइम' किस प्रकार की प्रणाली है?
A. पनडुब्बी प्रणाली
B. मिसाइल रक्षा प्रणाली
C. निगरानी उपग्रह
D. टैंक रोधी प्रणाली

11. 'आकाश प्राइम' एयर डिफेंस सिस्टम को किसने विकसित किया है?
A. इसरो
B. HAL
C. DRDO
D. भारत डायनेमिक्स

12. गुजरात ने हाल ही में कौन-सी परियोजना शुरू की है जो भारत में पहली बार लागू की जा रही है?
A. स्मार्ट ट्राइबल विलेज
B. आदिवासी रोजगार योजना
C. जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना
D. ट्राइबल लिटरेसी मिशन

13. भारत द्वारा विकसित डुअल स्टेल्थ ड्रोन किस विशेष कोटिंग के कारण रडार से छुप सकता है?
A. सुरक्षा शील्ड
B. रामा
C. इंद्र
D. अरुण

14. स्टेल्थ ड्रोन तकनीक अब तक किन देशों के पास थी, भारत से पहले?
A. अमेरिका, रूस और फ्रांस
B. चीन, जापान और जर्मनी
C. अमेरिका, चीन और रूस
D. रूस, इजरायल और इटली

15. भारतीय नौसेना में शामिल पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत कौन-सा है?
A. प्रेरणा
B. गरुड़
C. निस्तार
D. उदय

16. केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी. एस. अच्युतानंदन का निधन किस उम्र में हुआ?
A. 90 वर्ष
B. 101 वर्ष
C. 95 वर्ष
D. 99 वर्ष

17. मणिपुर के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
A. प्रशांत कुमार सिंह
B. असीम कुमार घोष
C. पुनीत कुमार गोयल
D. धर्मेंद्र प्रधान

18. जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा किस अनुच्छेद के तहत दिया?
A. अनुच्छेद 74(1)
B. अनुच्छेद 65
C. अनुच्छेद 67(ए)
D. अनुच्छेद 75

19. हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली?
A. शील नागू
B. असीम कुमार घोष
C. बंडारू दत्तात्रेय
D. प्रशांत सिंह

20. बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट के लिए स्कूलों में कितनी उम्र के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी?
A. 2 से 5 साल
B. 3 से 6 साल
C. 5 से 7 साल
D. 7 से 10 साल

21. मेटा का 'इमेजिन मी' किस तकनीक पर आधारित है?
A. वर्चुअल रियलिटी
B. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
C. मशीन लर्निंग
D. बायोमेट्रिक एनालिटिक्स

22. कलिंग रत्न सम्मान–2024 किसे प्रदान किया गया?
A. नरेंद्र मोदी
B. अमित शाह
C. धर्मेंद्र प्रधान
D. असीम कुमार घोष

23. भारतीय मानक ब्यूरो ने किस कैरेट के सोने के गहनों पर भी हॉलमार्किंग अनिवार्य की है?
A. 12 कैरेट
B. 9 कैरेट
C. 16 कैरेट
D. 10 कैरेट

24 हाल ही में यूक्रेन की प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
A.डेनिस श्मिहाल
B.वोलोदिमिर जेलेंस्की
C.यूलिया स्विरीडेंको
D.गीता गोपीनाथ

25 यूलिया स्विरीडेंको पेशे से क्या हैं?
A.डॉक्टर
B.वकील
C.अर्थशास्त्री
D.वैज्ञानिक

26 ब्रिटेन में मतदान की न्यूनतम आयु अब कितनी प्रस्तावित की गई है?
A.18 वर्ष
B.21 वर्ष
C.17 वर्ष
D.16 वर्ष

27 अमेरिका में H-1B वीज़ा को लेकर क्या हाल ही में घोषणा की गई?
A.कोटा बढ़ाया गया
B.सभी आवेदक चुन लिए गए
C.दूसरी लॉटरी नहीं निकाली जाएगी
D.यह कार्यक्रम बंद कर दिया गया

28 अल्बानिया की किस झील में 8 हजार साल पुरानी मानव बस्ती के अवशेष मिले हैं?
A.बाल्टिक झील
B.ओहीड झील
C.कैस्पियन झील
D.डेड सी

29 इंस्टाग्राम कौन-सा नया फीचर टेस्ट कर रहा है?
A.वॉयस चैट
B.3D पोस्ट
C.ऑटो स्क्रॉल
D.लाइव ट्रांसलेशन

30 NASA-ISRO के संयुक्त मिशन का नाम क्या है?
A.ASTROSAT
B.GAGANYAAN
C.NISAR
D.MANGALYAN

31. चांद की मिट्टी से पानी और ऑक्सीजन बनाने वाला डिवाइस किस देश ने बनाया है?
A.भारत
B.रूस
C.चीन
D.जापान

32. नोट्रे-डेम कैथेड्रल की डिजिटल रेप्लिका कौन-सी कंपनी बना रही है?
A.गूगल
B.माइक्रोसॉफ्ट
C.ऐप्पल
D.अमेज़न

33. विराट कोहली किस फॉर्मेट में 900+ रेटिंग अंक प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं?
A.केवल टेस्ट
B.केवल टी-20
C.केवल वनडे
D.तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे, टी-20)

34. आंद्रे रसेल किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं?
A.इंग्लैंड
B.ऑस्ट्रेलिया
C.वेस्टइंडीज
D.दक्षिण अफ्रीका

35. आंद्रे रसेल ने किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था?
A.2007
B.2010
C.2012
D.2014

36. अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड (IChO) 2024 का आयोजन कहाँ हुआ?
A.भारत
B.अमेरिका
C.जापान
D.दुबई, संयुक्त अरब अमीरात

37. रायपुर की नमी राय पारेख ने किस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता?
A.ओलंपिक
B.कॉमनवेल्थ गेम्स
C.एशिया पैसिफिक चैंपियनशिप
D.साउथ एशियन गेम्स

38. "मैजिक स्किल" पुरस्कार किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को मिला है?
A.नवनीत कौर
B.रानी रामपाल
C.वंदना कटारिया
D.दीपिका

39. रतन थियम का संबंध किस क्षेत्र से था?
A.फिल्म निर्देशन
B.पत्रकारिता
C.रंगमंच और नाट्य लेखन
D.चित्रकला

40. "थिएटर ऑफ रूट्स" आंदोलन से किसका संबंध था?
A.हबीब तनवीर
B.रतन थियम
C.गिरीश कर्नाड
D.बंसी कौल

- गीता प्रसाद, कैरियर काउंसलर

Q&A-005

1	B	11	C	21	B	31	C
2	C	12	C	22	C	32	B
3	B	13	B	23	B	33	D
4	B	14	C	24	C	34	C
5	C	15	C	25	C	35	B
6	C	16	C	26	D	36	D
7	C	17	B	27	C	37	C
8	B	18	C	28	B	38	D
9	B	19	B	29	C	39	C
10	B	20	C	30	C	40	B

अस्वीकरण (Disclaimer) : इस प्रश्नोत्तरी में दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। फिर भी, यदि किसी प्रश्न या उत्तर में अनजाने में कोई त्रुटि रह जाती है, तो इसके लिए "रोजगार और नियोजन" जिम्मेदार नहीं होगा।

छत्तीसगढ़ की महानदी प्रवाह- प्रणाली में नदियों के संगम

सदियों से नदियों के संगम संस्कृतियों, धर्मों और राजनीतिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केन्द्र रहे हैं। भारत वर्ष का प्रयागराज त्रिवेणी संगम का कुम्भ मेला विश्वविख्यात हैं। नदियों के संगम स्थान महत्वपूर्ण परिवर्तन के बिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भू-आकृति विज्ञानियों, समाज विज्ञानियों, पारिस्थितिकी तंत्र विदों तथा इंजीनियरों के लिए महत्वपूर्ण है।

महानदी, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी एवं प्रसिद्ध नदी है। इसे राज्य की जीवन रेखा कहते है। इस नदी के तट पर स्थित राजिम, शिवरीनारायण एवं चन्द्रपुर त्रिवेणी संगम है। इन संगम स्थलों पर आयोजित कुम्भ मेला, माघ मेला, नवरात्रि मेला एवं अस्थि विसर्जन को राष्ट्रीय पहचान प्राप्त है। यह प्रवाह प्रणाली राज्य के आधे से अधिक क्षेत्रफल में विस्तृत है। इस नदी तंत्र के प्रमुख नदियों के संगम स्थलों का उल्लेख पुराण, गजेटियर्स एवं जनगणना पुस्तिकाओं में किया गया है किन्तु सभी सहायक एवं उप सहायक नदियों के संगम स्थलों का उल्लेखन उन ग्रंथों में नहीं मिलता हैं। आधुनिक विकास के कारण इस नदी तंत्र के कई संगम स्थल गर्मी के दिनों में सूख जाता है। अतः इस नदी तंत्र के संगम स्थलों का सटीक, क्रमवद्ध एवं तार्किक अध्ययन ज्ञान एवं विकासीय नियोजन के लिए आवश्यक है।

भारत के प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में विस्तृत छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी प्रवाह प्रणाली 19^{0}45‘ उत्तरी अक्षांश से 23^{0}12‘ उत्तरी अक्षांश तथा 80^{0}16‘ पूर्वी देशांतर से 84^{0}24‘ पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। यह प्रवाह तंत्र राज्य का सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 69456 वर्ग कि.मी. में विस्तृत है। यह राज्य के 51.37 प्रतिशत भाग है। प्रशासकीय दृष्टि से धमतरी, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, सारंगगढ़, कांकेर, बालोद, राजनांदगांव, मानपुर-मोहला-अम्बागढ़चैकी, कबीरधाम, छुईखदान-खैरागढ़-गंड़ई, मुंगेली, बेमेतरा, दुर्ग, बलौदाबाजार-भाठापारा, कोरबा, कोरिया, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, जांजगीर-चाम्पा, रायगढ़ एवं जशपुर जिलों में इस नदी तंत्र का प्रमुख विस्तार है।

महानदी का प्रवाह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों राज्यों में 903.29 कि.मी. लम्बी है। इस नदी का धमतरी जिला के सिहावा पहाड़ फरसिया में उद्गम स्थान है तथा यह नदी उड़ीसा राज्य में बंगाल की खाड़ी में कौडिया के निकट विलीन हुई है। छत्तीसगढ़ में यह नदी दक्षिण से उत्तर एवं पश्चिम से पूर्व की ओर 407.26 कि.मी. लम्बी प्रवाहित है। राज्य में इस नदी के बायी ओर से शिवनाथ, हसदेव, मांड एवं बोरई, सहायक नदियां हैं तथा दायी ओर से पैरी, जोंक, लात, सूखा नदी आदि सहायक नदियां है।

राजिम त्रिवेणी संगमः

राजिम, छत्तीसगढ़ का पवित्र तीर्थ है। यह तीर्थ छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सोंढूर, पैरी, महानदी संगम के निकट स्थित है। यहां प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को महाशिवरात्रि तक कुम्भ मेला लगता है। इस संगम में पर्व-उत्सवों में स्नान एवं धार्मिक कार्य वर्ष भर चलता रहता है। यहां अस्थी विसर्जन की परम्परा है।

पैरी नदी का उद्गम भतरीगढ़ पहाड़ी गरियाबंध जिला में है तथा सोंढूर नदी का उदगम ग्राम नवरंगपुर, उड़ीसा राज्य में है। दोनों नदियां पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होती हुई मोहेरा एवं खटिया ग्राम के पास संगम से आगे राजिम के निकट महानदी में विलीन हुई है।

राजिम में कुंभ मेला प्रतिवर्ष लगता है। यहां राजीव लोचन भगवान का मंदिर दर्शनीय है। इस संगम के उपरी कोण में वहां लोमश ऋषि का आश्रम और कुलेश्वर महादेव दर्शनीय है, जो ग्राम नवागांव बुड़नी धमतरी जिला में स्थित है। राजिम से वहां पहुचने हेतु लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण किया गया है।

महानदी में सहायक नदियों का संगम स्थल

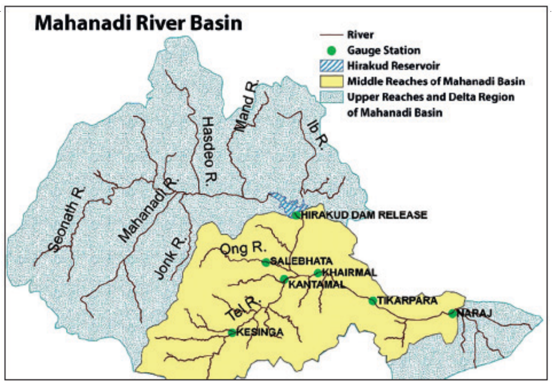

क्रं.	सहायक नदी	संगम स्थल	जिला
1	शिवनाथ	शिवरीनारायण त्रिवेणी संगम	जांजगीर चाम्पा
2	हसदेव	देवरी ग्राम	जांजगीर चाम्पा
3	मांड	चन्द्रपुर त्रिवेणी संगम	सक्ति
4	बोरई	मंजर्कुद	सक्ती
5	पैरी	राजिम त्रिवेणी संगम	गरियाबंद
6	जोंक	थरहीडीह	बलौदाबजार
7	बलाम्देही	पुटपुरा	बलौदाबजार
8	कुरर	बदगांव	महासमुंद
9	सूखा	हथखोज	गरियाबंद
10	लात	टीमरलगा	सारंगढ़
11	दूध	दसपुर ग्राम	कांकेर

स्त्रोतः- धरातल पत्रक एवं क्षेत्रीय सर्वेक्षण

शिवनाथ नदी के सहायक नदियों का संगम स्थान

क्रं.	सहायक नदी	संगम स्थल	जिला
1	खारून	सोमनाथ	रायपुर
2	हाफ	धोबघट्टी	बेमेतरा
3	मनियारी	मोतिमपुर जुमनाकापा	मुंगेली
4	अरपा	मटियारी ग्राम	बिलासपुर
5	तान्दुला	चंगोरी भरदा	दुर्ग
6	लिलागर	उदईबंध	बिलासपुर

स्त्रोतः- धरातल पत्रक एवं क्षेत्रीय सर्वेक्षण

शिवरीनारायण त्रिवेणी संगमः

प्रसिद्ध तीर्थ शिवरीनारायण शिवनाथ जोंक महानदी त्रिवेणी संगम के तट पर स्थित है। यहां शिवरीनारायण मंदिर रोहणी कुण्ड, माघ मेला दर्शनीय है। इस त्रिवेणी संगम में पर्व उत्सवों के साथ-साथ वर्ष भर स्नान एवं दर्शन पूजन का कार्य चलता रहता है। यहां अस्थि विसर्जन परम्परा है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ इसी तीर्थ में वास करते है।

शिवरीनारायण तीर्थ में शिवनाथ नदी चंगोरी ग्राम में बायी ओर से महानदी में विलीन होकर संगम बनायी है तथा जोंक नदी ग्राम थरहीडीह भाटापारा बलौदाबाजार जिला में दायी ओर से महानदी में विलीन है।

जोंक नदी सोन बेरा पठार, उडीसा से निकल कर महानदी में विलीन हुई तथा शिवनाथ नदी मानपुर मोहला अम्बागढ़ चैकी जिला के पानबरास पहाडी से निकल कर शिवरीनारायण के निकट महानदी में संगम बनायी है। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस नदी के सहायक नदियों के संगम स्थलों को निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित किया गया है।

दस्तावेजों में अरपा शिवनाथ संगम को कर्रा ग्राम, ठकुरदेवा ग्राम, मानिकचैरा ग्राम तथा बरतोरी ग्राम में लिखा गया है यह सभी ग्राम धरातलीय सच्चाई नहीं है? क्षेत्रीय सर्वेक्षण के अनुसार अरपा-शिवनाथ संगम मटियारी ग्राम, बिल्हा विकासखण्ड जिला बिलासपुर में है। यहां प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। संगम के निकट प्राचीन मूर्तियां एवं मन्दिर हैं।

हसदेव महानदी संगमः

हसदेव नदी, महानदी की बायी ओर से सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम कोरिया जिला के सोनहट पठार के मेड्रा ग्राम में साल वृक्ष के ठूट से है। यह नदी उद्गम से आगे सुंदर अमृतधारा जल प्रपात बनायी है। इस नदी में एतमा नगर, कोरबा जिला में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना मिनीमाता हसदेव जलाशय (बांगा) बनया गया हैं।

हसदेव महानदी संगम ग्राम देवरी जिला जांजगीर चाम्पा में है। यहां प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है किन्तु इस नदी संगम को दस्तावेजों में सिलादेही, सोनियाडिह, मुहआडिह ग्रामों में लिखा गया है?

बोरई महानदी संगमः

बोरई नदी कोरबा जिला के पहाड़ी भाग में निकलकर जांजगीर चाम्पा जिला में प्रवाहित होती हुई, मंजर्कुद ग्राम जिला सक्ती में महानदी में बायी ओर से विलीन होकर संगम बनाई है।

चन्द्रपुर त्रिवेणी संगमः

चन्द्रपुर तीर्थ में माड, लात एवं महानदी का त्रिवेणी संगम है। यहां चन्द्रहासिनी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। इस संगम के निकट प्रतिवर्ष दोनो नवरात्रि में मेला लगता है। यह तीर्थ सक्ती जिला के अंतर्गत स्थित है। माड नदी मैनपाट से निकलकर उत्तर दक्षिण प्रवाहित होती हुई चन्द्रपुर में महानदी में बांयी ओर से विलीन हुई है तथा लात नदी सारंगढ़ की पहाडी से निकलकर टिमरलगा ग्राम, सारंगढ़ जिला में महानदी में दायी ओर से विलीन हुई है इस संगम के दूसरे तट पर चन्द्रपुर तीर्थ स्थित है।

दूध महानदी संगमः

दूध नदी कांकेर जिला की प्रसिद्ध नदी है जो इस जिला के मलाजकुण्डम पहाड़ी से निकलकर उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होती हुई दसपुर ग्राम के निकट महानदी में बांयी आरें विलीन होकर संगम बनायी है।

शोध : डॉ. पुरुषोत्तम लाल चंद्राकार एवं डॉ. दीपक चंद्राकर , पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25 वर्षों का उत्सव वर्षों का संकल्प

मोदी की गारंटी से संवर रहा छत्तीसगढ़

47,000 करोड़
की लागत से
रेल परियोजनाओं का क्रियान्वयन

40,000 करोड़ से अधिक
की लागत से
राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

69 लाख से अधिक
महिलाओं के खातों में पहुंचे
₹12,376 करोड़
महतारी वंदन योजना

40 लाख से अधिक
परिवारों को स्वच्छ पेयजल
जल जीवन मिशन

25.47 लाख
किसानों के खातों में पहुंचे
₹9,765 करोड़
पीएम किसान सम्मान निधि

26 लाख
परिवारों का पक्के घर का सपना साकार
पीएम आवास योजना

59 हज़ार
परिवारों को मिल रहा लाभ
पीएम जनमन योजना

6,691
ग्राम लाभान्वित
धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

सेवा ही संकल्प,
राष्ट्र प्रथम ही प्रेरणा...

प्रदेशवासियों की ओर से
माननीय प्रधानमंत्री **श्री नरेन्द्र मोदी जी** का
आभार एवं *अभिनंदन..!*

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क | Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

डॉ. रवि मित्तल - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. डीबी कार्प. लिमिटेड, प्लाट नंबर 40/44 इण्डस्ट्रियल एरिया, उरला रायपुर से मुद्रित,
छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक - जवाहर लाल दरियो